Collective Action for Community Empowerment

Project CACE Under **PACS** Programme Supported By **DFID**

April 2005 to Feb. 2008

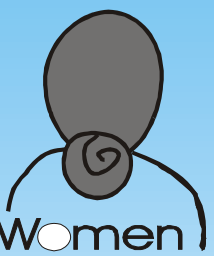

Empowering Women

Process Document of the project

Management Consultant

Development Alternatives

Price Waterhouse Cooper

Community Development Centre
B.C.Rai [Gupta Ki Chaal]
Bhatera Chouky, Balaghat
M.P. 481 001 India
Phone : 91 7632 248585,9425822228
Email : cdcindia@rediffmail.com

विषय वस्तु

- बालाघाट जिला और परियोजना क्षेत्र *[District and Project Area]*
- परियोजना गतिविधियॉ एवं कार्यक्रम *[Project Activities and Programme]*
- पलाश स्वयं सहायता समूह संघ *[PALASH SHG Federation]*
- एन.आर.ई.जी.ए. *[Implementation of NREGA]*
- तारा अक्षर *[Tara Akshar]*
- संस्थागत संचार रणनीति *[Communication Strategy]*
- सफल प्रयास और केस अध्ययन *[Success stories and Case]*
- संलग्नक *[Enclosures]*

Project Name:

- **Collective Action for Community Empowerment [CACE]**

Project Duration:

- **April 2004 to September 2007**

Thematic Area:

- **Women Empowerment and Self Help Initiatives**

Project Funded by:

- **DFID India**

Management Consultant :

- **Development Alternatives &**
- **Price Waterhouse Coopers Pvt. Ltd.**

पेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना का क्रियांवयन ना सिर्फ सी.डी.सी. बल्कि इस जिले के लिए एक उपलब्धि है। परियोजना क्रियांवयन के लगभग चार वर्ष के अंतराल में काफी बदलाव हो चुका है, आज इस प्रक्रिया दस्तावेज को पूर्ण करते हुए अनुभव हो रहा है और वे सभी परिस्थितियाँ आँखों के सामने है जब इस परियोजना का नियोजन और उसके पश्चात परियोजना स्वीकृति की थका देने वाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संस्था और मेरे लिए यह एक चुनौती थी कि नेटवर्क के रूप में परियोजना का प्रभावी क्रियांवयन करना और अपेक्षित परिणाम हासिल करना।

चार अलग-अलग सोच और विचारों के लोग और उनके विचारानुसार स्थापित संस्थाओं के साथ किसी परियोजना का क्रियांवयन करना आसान नहीं होता, और वह भी ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना को लगभग आठ से दस वर्ष बीत चुके थे और सी.डी.सी. शिशु की भांति चलना सीख रही थी। मेरे लिए परियोजना को और सहभागी संस्थाओं के संस्था प्रमुखों के साथ तालमेल बनाना जो सभी अनुभव और आयु में मुझसे बडे थे कार्य करना काफी कठिन था। किसी परियोजना का पूर्णतः प्रबंधन और क्रियांवयन का यह दूसरा अनुभव था पर नेटवर्क परियोजना का पहला अवसर था। अर्थात मेरे लिए भी करो और सीखो की स्थिति थी। दानदाता संस्था की ओर से भी यह कहना कि परियोजना के क्रियांवयन और समन्वयन की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

मुझे लगता है मैं इसे बेहतर तरीके से क्रियांवित कर पाया हूँ, परियोजना क्षेत्र में दिखायी दे रहे परिणाम इस बात को प्रमाणित करते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है यदि आप लोगों के बीच रहकर कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो परिणाम अवश्य दिखायी देते हैं। परियोजना ने अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता पायी है, जो कि नियोजित किये गये थे। आवश्यकता है आगे भी समुदाय के साथ कार्य किया जावे क्योंकि प्राप्त परिणाम परिवर्तन का प्रारंभ ही है अंत नहीं और समुदाय अभी उतना सक्षम नहीं हुआ है कि वह उन सारी प्रक्रियाओं को अपने हाथ में लेकर चल सके जो कि उनके बीच में प्रारंभ हुई हैं। हर संस्थाओं को जिन्होंने इस परियोजना में अपना श्रम और संसाधन लगाया है किसी तरह प्रक्रियाओं को आगे बढाने का प्रयास करें।

इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू था कार्य कर रही संस्थाओं की क्षमतावृद्धि और सतत कार्य करने की प्रवृत्ति कुछ संस्थाओं के साथ बेहतर संकेत तो प्राप्त हुए हैं पर वे किन मूल्यों को लेकर आगे कार्य कर पायेंगी यह उन पर ही निर्भर करता है। पेक्स ने सीखने के काफी अवसर और संसाधन उपलब्ध कराये जो कि शायद सभी परियोजनाओं में संभव नहीं होता और यह अब सीखने वाले पर निर्भर करता है कि वह उन सीखों का कैसे प्रयोग करता है, क्योंकि इस पूरी अवधि में संस्थागत विकास के हर मुद्दों पर सोचने समझने और सीखने का अवसर सभी को प्राप्त हुआ।

ऐसा नहीं है कि परियोजना क्रियांवयन के दौरान समस्याएं ना आयीं हों या किसी तरह के विवाद ना हुए हों कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुईं पर उन विवादों या समस्याओं को नजरअंदाज कर मैंने कार्य किया, कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पडे जो सहभागी संस्थाओं को अच्छे ना लगे हों पर ऐसा करना आवश्यक भी था क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है हम जवाबदेह है उन कमजोर और शोषित व्यक्तियों के प्रति जिनके जीवन में बदलाव की इच्छा हम रखते हैं।

सी.डी.सी. के परियोजना क्षेत्र में संगठित एस.एच.जी. फेडरेशन, निगरानी समितियाँ और अन्य छोटे छोटे समूह निरंतर आगे बढते जायें यह प्रयास संस्था का रहेगा और इसीलिए नियमित अंतराल पर छोटी छोटी गतिविधियों का आयोजन संस्था करेगी, यह एक अलग तरह की चुनौती है जहाँ हमें संस्थागत हस्तक्षेपों में निरंतरता की जारी रखना है और हमने इस हेतु भी नियोजन किया है कि कैसे हम दानदाता संस्थाओं के बिना भी कार्य को आगे बढायें।

इस प्रक्रिया दस्तावेज के माध्यम से मैं उन एक एक व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस यात्रा में संस्था के साथ चले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस परियोजना से प्राप्त अनुभव निश्चित ही मुझे भविष्य में बेहतर कार्य करने में सहयोगी होंगे। मैं दानदाता संस्था और उन सहयोगी संस्थाओं के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरी संस्था के सभी स्टॉफ जो परियोजना से सक्रियता से जुडे रहे जिन्होंने अपना समय लगाया और दिल से कार्य किया मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा है हम आगे भी साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित

अमीन चार्ल्स

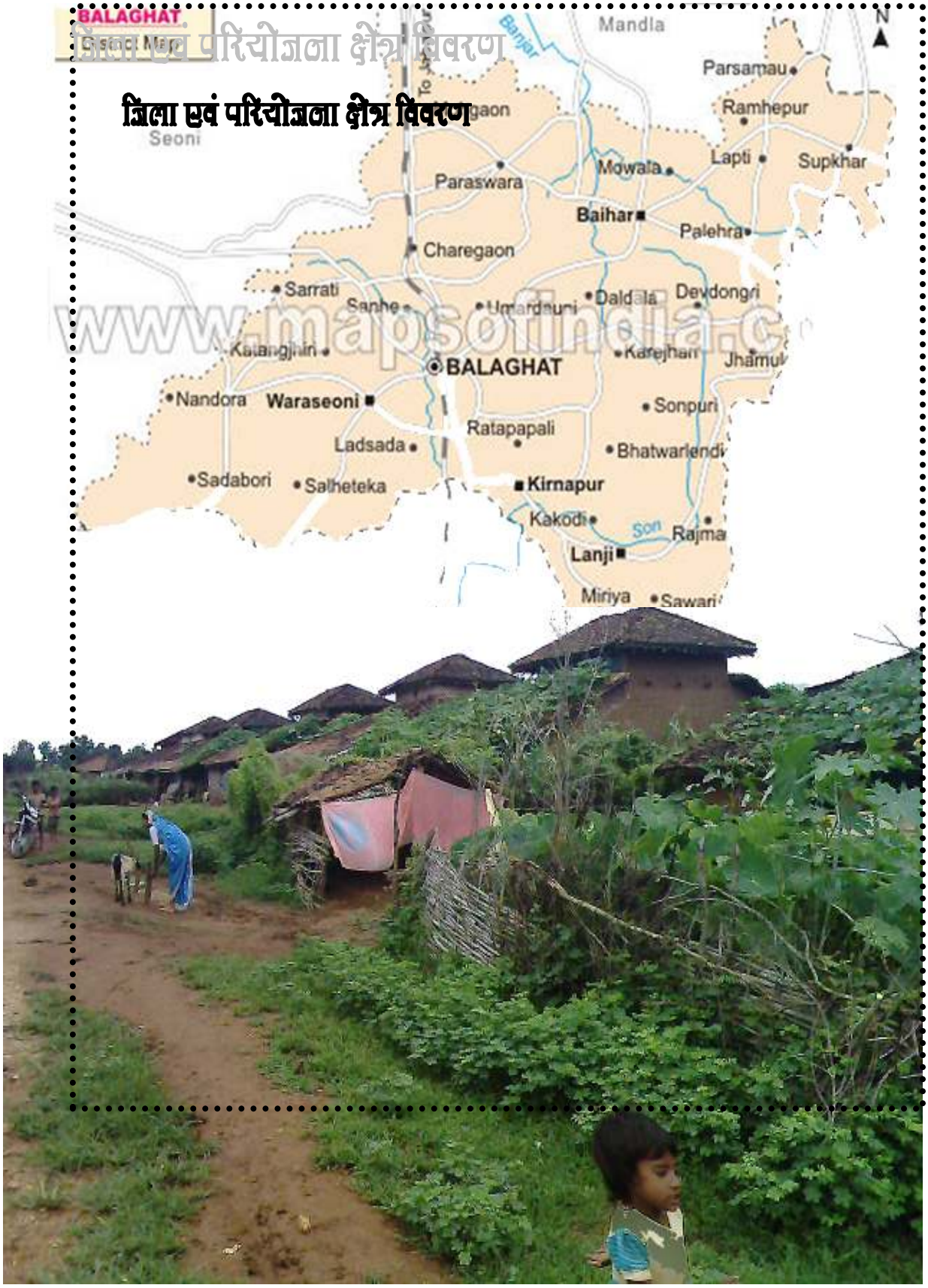

जिला एवं परियोजना क्षेत्र विवरण

The Balaghat District बालाघाट जिला

बालाघाट जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यह जिला दक्षिण में महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। जिलें में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे वन और खनिज। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद जिले की 45 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। जिले में 28 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी और दलित है। जिले की 90 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। जिले की बहुसंख्यक ग्रामीण जनसंख्या भूमिहीन, छोटे या सीमांत कृषक है। जमीन का असमान वितरण स्पष्ट दिखायी देता है। **80 प्रतिशत में 60 प्रतिशत लोगों के पास**

बालाघाट जिला भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा चिन्हित 100 सबसे गरीब जिलों की सूची में शामिल है अतः जिले के विकास और विकासीय कार्यक्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है। संचार, सडक, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति दयनीय है। जिले के 1200 गॉवों में 30 प्रतिशत से अधिक गॉव बारिश में मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। जिले में साक्षरता का प्रतिशत 56 है जो अच्छा सूचक है पर महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत सिर्फ 30 है। जिले में शिशु मृत्यु दर 86 है जो कि राज्य की मृत्यु दर से अधिक है।

बालाघाट किसी भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है या कोई भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग जिले से होकर नहीं जाता, इसी तरह बडे रेलमार्ग से जुड पाना भी जिले के लिये अभी सपने के समान ही है। किसी भी बडे नगर या महानगर से बालाघाट के लिये पॅहुच आसान नहीं है। वर्तमान समय में सडकों की स्थिति में सुधार दिखायी दे रहा है पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति आज भी बदतर है। जिले का 49 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है जिसके एक बडे हिस्से में कान्हा राष्ट्रीय उघान स्थित है, उकवा, भरवेली और तिरोडी में मेंगनीज की बडी खदान हैं मलांजखंड में तांबे की खदान है पर इन प्राकृतिक संसाधनों का जिले के लोगों को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। बैहर, बिरसा और परसवाडा विकासखंड पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं इन विकासखंडों में वनों का क्षेत्रफल अधिक है जिले के अन्य विकासखंड के मुकाबले ये कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विकासखंड हैं।

जिले के विकास में अवरोध के रूप में राजनैतिक, प्राशासनिक और स्थानीय कारणों के साथ नक्सलवाद भी प्रमुख कारण रहा है। मध्यप्रदेश में सिर्फ बालाघाट जिला है जहॉ नक्सली गतिविधियॉ रही है आज भी उनकी उपस्थिति देखी जाती है। नक्सलवाद के कारण जिले का विकास अवरूद्ध हुआ है यह स्पष्ट है जिले में बडे स्तर का प्रशासनिक अमला रहकर कार्य करना नहीं चाहता (दैनिक

भास्कर)। राजनैतिक इच्छाशक्ति और सोच की कमी स्पष्ट दिखायी देती है जिले में कभी कोई चमत्कारी नेतृत्व नहीं रहा जिसने जिले के लोगों को प्रभावित किया हो।
लोगों की आर्थिक और आजीविका का प्रमुख स्रोत खेती है पर कृषि सुविधाओं के नाम पर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। सिंचाई की सुविधाओं का आभाव है विपणन आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, विद्युत व्यवस्था की स्थिति जिले के अन्य जिलों से भिन्न नहीं है।

पंचायत राज के लागू होने और एक दशक बीत जाने के पश्चात आज भी लोगों में इस व्यवस्था के प्रति विश्वास बन नहीं पाया है लोगों की शंका का कारण इस व्यवस्था में हो रहे लगातार परिवर्तन रहें हैं साथ ही भ्रष्ट नौकरशाही ने इस व्यवस्था को मजबूत होने नहीं दिया है, सरपंचों का अधिकतर समय विकासखंड मुख्यालय और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दफतरों के चक्कर काटने में बीत जाता है। ग्राम सभाएं कभी सफलता पूर्वक सम्पन्न नहीं हुई। इन व्यवस्थाओं के सशक्तिकरण में प्रशासनिक पहल कभी नहीं रही।

उपरोक्त विवरण के अनुसार जिले के विकास की स्थिति बेहतर नही दिखायी देती क्योंकि जहॉ कुछ बेहतर कार्य हो भी रहे हैं उनका दोहराव नही होता और प्रोत्साहन की कमी है। समुदाय स्तर पर यदि देखा जावे तो कुछ प्रमुख कारण सामने दिखायी देते हैं जैसे जागरूकता, जानकारी और कौशल का आभाव साथ ही प्रोत्साहन और संगठनात्मक गतिविधियों की कमी। लोगों के पास अपने संसाधनों पर स्वामित्व नहीं है पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था ने नष्ट कर दिया है, कमजोर और शोषित वर्ग के हाथ में आगे बढने के अवसर या रास्ते नहीं हैं वहीं शोषक और सक्षम वर्ग निरंतर नये तरीकों से शोषण कर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है वहीं कमजोर आदिवासी, दलित वर्ग आगे बढने के बजाए विभिन्न सामाजिक बुराईयों के जाल में फंस कर अपने संसाधनों, श्रमशक्ति और उन सभी रास्तों को बंद कर रहा है जहॉ से वह आगे बढ़ सकता था। आज अधिकांश आदिवासी और दलित परिवार किसी ना किसी तरह ऋण से ग्रस्त हैं और सूचनाओं और जानकारियों के आभाव ने इन समुदायों को और अधिक गरीबी के दुष्चक्र में फंसा कर रखा है। अपने अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में कदम उठाने का साहस इस कमजोर वर्ग में नहीं है।

1	भौगोलिक क्षेत्रफल	9245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	1365870
3	साक्षरता प्रतिशत	43.65
4	विकासखंड	10
5	तहसील	6
6	ग्राम पंचायतें	691
7	गॉवों की संख्या	1273

Project Area परियोजना क्षेत्र

पेक्स परियोजना के लिए विकासखंड बैहर और परसवाडा की 12 पंचायतों को चयन किया गया। प्रत्येक संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य करने हेतु 3 पंचायतों का चयन किया गया है। परियोजना क्षेत्र के चयन का आधार बनाया गया

- जहॉ संस्थाएं कुछ लंबे समय तक कार्य कर सके।
- ऐसा क्षेत्र जहॉ संस्था ने पहले कुछ कार्य किया हो।
- क्षेत्र जो एक क्लस्टर के रूप में हो।
- आदिवासी बहुल हो।
- पंहुचने की सुविधा हो।

भौगोलिक स्थिति

बैहर और परसवाडा विकासखंड जिले के अन्य विकासखंडों में पिछडे क्षेत्र है जो छोटे बडे पहाडों और पहाडियों की श्रखलाओं के बीच स्थित हैं। सी.डी.सी. और एस.एम.एस. ने बैहर की 6 पंचायतों का चयन किया जो कि एक क्लस्टर के रूप हैं। तथा जी.वी.एम. ने परसवाडा के पास की 3 और नवजीवन ने उकवा क्षेत्र की 3 पंचायतों का चयन किया जो कि परसवाडा विकासखंड में आती हैं।

क्र.	संस्था	विकासखंड	पंचायतें	विकासखंड से दूरी
1	CDC	Baihar	Karwahi Parsatola Mendki Jatta Kinarda Bhanderi	15 KM

परियोजना क्षेत्र को समझने के लिये संस्थाओं द्वारा किये गये प्राथमिक सर्वेक्षण, अवलोकन समुदाय तथा पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण अधोलिखित बिंदुओं पर किया गया है।

सामाजिक

- जैसा कि अन्य आदिवासी, दलित और कमजोर समूहों के साथ अन्य क्षेत्रों में होता है यहॉ भी इन समुदायों का शोषण उच्च वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, (राजस्व, पुलिस और वन),

महाजन या पटेल और स्थानीय नेताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। कम मजदूरी या उधार देकर जमीन हडपने का काम परियोजना क्षेत्र में होता है।

- महिलाओं की स्थिति दयनीय है यह ना सिर्फ आदिवासी समुदाय में है बल्कि सामान्य और पिछडे वर्ग के समुदाय की महिलाएं भी समस्याओं का सामना कर रही हैं शराब पीकर पत्नि को मारना आम बात है महिलाओं के शारीरिक शोषण की घटनाएं भी क्षेत्र में घटित होती हैं पर ऐसे प्रकरण कभी दर्ज नहीं किये जाते।
- सामाजिक समरसता के उदारहण समुदाय में दिखायी नहीं देते। समाज काफी बटा हुआ है किसी तरह के संगठनात्मक कार्य क्षेत्र में नहीं है जिसका कारण है किसी तरह की प्रेरणा या दूरगामी सोच समुदाय में नहीं है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बेहतर नही है टीकाकरण या प्रसव पूर्व जॉच आज भी महिलाओं के लिये सपने जैसा ही है स्वास्थ्य कर्मी की समुदाय के बीच उपस्थिति कम है अतः नीम हकीम डाक्टरों के लिये कमाई का अच्छा क्षेत्र है। यहॉ होने वाला प्रत्येक प्रसव जोखिम पूर्ण होता है क्योंकि किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं यहॉ उपलब्ध नहीं हैं।
- दूर के गॉवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है मुख्य गॉवों में शालाएं तो है पर बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं साथ ही गॉवों से शाला तक पहुच पाना भी बच्चों के लिये मुश्किल है विशेष कर बारिश के मौसम में।

आर्थिक

- परियोजना क्षेत्र में लोगों की आय का प्रमुख स्रोत खेती है, आदिवासी समुदाय के पास जमीनें हैं पर अधिकांश बडी जोत पंवार, मरार या लोधी समुदाय के लोगों के पास है। खेती के लिये आवश्यक संसाधनों का आभाव है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव आदीवासी, दलित और कमजोर वर्ग पर है कम भूमि और वह भी असिंचित और बिगडी हुई जो पूर्णतः वर्षा आधारित है।
- इन वर्गों के पास अपनी आजीविका के निर्वहन का प्रश्न बडा जटिल है। खेती से पूरे वर्ष के लिये खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता, लोग पलायन के लिये मजबूर हैं। वन क्षेत्र होने के कारण वन उत्पाद उपलब्ध हैं पर उनका वास्तविक लाभ लोगों को मिल नहीं पाता। खेती के अलावा लोग जंगल से लकडी लाकर बेचने का कार्य करते हैं जो अस्थायी साधन है और दिनों दिन सिमटते जंगल और वन विभाग की नीतियों से लोग परेशान हैं। कुछ परिवार अगरबत्ती की तीलियॉ बनाने का कार्य करते है पर यहॉ भी उन्हें सही पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता।
- परियोजना क्षेत्र में निवास करने वाले 70 प्रतिशत आदीवासी और दलित परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जिसका सीधा प्रभाव उनके जीवनस्तर पर पडता है। रोजगार के साधनों का आभाव है साथ ही संसाधनों का आभाव है। काफी परिवार कर्ज के बोझ तले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन के दौरान लोगों द्वारा लिये जाने वाले कर्ज की ब्याज दर इतनी अधिक है कि लोगों को इसे वापस करने के लिये अपनी जमीन तक गंवानी पडती है।

- कुछ पंचायतों में बैगा जनजातियॉ भी निवास करती हैं जिनकी आजीविका मुख्य रूप से जंगलों से लकडी लाकर बेचने का है। परसवाडा क्षेत्र के बैगाओं के पास जंगल से वनोपज संकलन की भी व्यवस्था है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता ।

पंचायत व्यवस्था

- परियोजना क्षेत्र में पंचायतें अपनी प्रभावी भूमिका में नहीं हैं जिसका कारण है जानकारियों का आभाव, पंचों के साथ साथ सरपंचों तक में जानकारी का आभाव है।
- ग्राम पंचायत के सचिवों की प्रभावी भूमिका है सचिव किसी ना किसी रूप में सरपंचों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर कार्य करवाते रहते हैं।
- पंचायतों और ग्राम सभा के बीच संबंध प्रभावी नही हैं, ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं होता और यदि होता भी है तो लोगों की उपस्थिति कम होती है।
- पंचायत व्यवस्था के प्रति उदासीनता है।
- ग्राम सभा या पंचायत प्रतिनिधियों के लिये कभी प्रशिक्षण या जानकारी प्रदान करने वाले कार्य प्रशासन द्वारा नही किये गये।

प्रगति प्रतिवेदन

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट के द्वारा पेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत CACE [Collective Action for Community Empowerment] परियोजना का क्रियांवयन किया गया, जिसका अप्रेल 2005 से सितंबर 2007 तक की अवधि का प्रगति प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

परियोजना क्रियांवयन के प्रथम वर्ष के अर्थात लगभग एक वर्ष क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात संस्था और कार्यकर्त्ताओं की पहचान समुदाय में बननी प्रारंभ हुई, और समूहों के साथ साथ समूह के बाहर के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, शासकीय कर्मचारियों जैसे आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, ए.एन.एम. शिक्षकों आदि से भी संपर्क स्थापित हुआ। एक वर्ष की अवधि के पश्चात परियोजना के तहत कार्य और जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ। संस्था ने ग्राम भंडेरी में ही परियोजना कार्यालय की स्थापना की और अधिक व्यवस्थित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया।

संस्था ने ना सिर्फ समूहों के गठन का कार्य किया बल्कि अन्य मुद्दों पर भी कार्य करने प्रारंभ किया जैसे

- घरेलू महिला हिंसा
- किशोर / किशोरी स्वास्थ्य
- महिला – बाल पोषण और स्वास्थ्य
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी अधिनियम

परियोजना प्रबंधन

संस्था द्वारा चारों संस्थाओं के लिए प्रबंधकीय रणनीति बनायी गयी थी और एक कार्यकर्त्ता एक पंचायत में कार्य करता था, एनीमेटर को एक पंचायत में समस्त गतिविधियों का आयोजन करना होता था जिसमें समूह गठन, समूहों की बैठकें और अन्य कार्य जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मददगार साबित हों।

एक सी प्रबंधकीय रणनीति के बावजूद सभी संस्थाएं बाध्य नहीं थी कि वे इसी भांति कार्य करें, सी.डी.सी. ने जिस तरह परियोजना क्षेत्र में ही स्टॉफ को रहकर कार्य करने हेतु व्यवस्थाएं बनायी थीं एस.एम.एस. भी इसी व्यवस्था में शामिल हुआ चूंकि एस.एम.एस. का कोई अलग कार्यालय नहीं था अतः सभी स्टॉफ एक कार्यालय से परियोजना क्रियांवयन में शामिल रहे।

परियोजना क्षेत्र

- परसाटोला – गोगाटोला, रामाटोला, तितुरबर्रा, हिरापुर
- मेण्डकी – चारटोला, देवरबेली
- जत्ता – जत्ताटोला, बैगाटोला
- करवाही – बरवाही, सरेखा, बैगाटोला, मरारीटोला
- किनारदा – जामटोला, पोलापटपरी, सराईटोला
- भण्डेरी – भण्डेरी, हेटीटोला, कासूटोला

Monthly Activities At a Glance

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
अप्रेल 05	• समूह निर्माण कार्य परसाटोला पंचायत में 2 नये समूहों का गठन किया गया। • पूर्व निर्मित समूहों की बैठक कर क्षमता वृद्धि किया गया । 20 समूह को रिवाल्विंग फण्ड का सही प्रबंधन करना सिखाया गया ।	रिवॉल्विंग फंड प्रबंधन पर ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन
मई 05	• नयी कार्यकर्ता रखा गया मीनाक्षी कटरे, ममता बैस • 19 से 25 मई को समस्त स्टॉफ विगत दो सालों में हुई मृत्यु के बारे में सर्वे दो ब्लाक बिरसा और बैहर में किया । जिससे नये कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि हुई ।	संस्था की आइ.एन.एच.पी. परियोजना के द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों पर कार्यकर्त्ताओं की क्षमतावृद्धि
जून 05	• किनारदा पंचायत में 2 समूह का गठन हुआ • करवाही पंचायत में 1 समूह गठन किये • नये कार्यकर्ता रखा गया दारासिंह राहांगडाले • दो दिवसीय प्रशिक्षण 18 से 19 जून तक भण्डेरी में एनीमेटरों को पी.आर.ए. के संबंध में । जिसमें कार्यकर्ताओं की समझ बनी पी. आर.ए. क्या होता है, कैसे किया जाता है । इसकी मुख्य शर्तों के बारे में बताया गया । • परियोजना क्षेत्र के समस्त समूहों को 13 से 15 जून तक संविधान एवं जनपैरवी तथा मलेरिया के संबंध में भण्डेरी में कार्यशाला आयोजित की गई । • पाण्डूतला में पी.आर.ए. संबंधित विशेष सर्वे समस्त स्टॉफ के द्वारा 24 से 28 जून तक किया गया ।	

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
जून 05	• स्टॉफ बैठक में परियोजना क्षेत्र की पत्रिका निकालने के संबंध में बात कही गयी । तब सभी ने उसका नाम तन्नौर एक्सप्रेस रखा । • पूर्व निर्मित समूह कि निरन्तर बैठक व सम्पर्क किये • 12 जून को सूचना केन्द्र की स्थापना किये।	संस्था के स्टॉफ के साथ संस्था स्तर पर परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी, दो दिवसीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गयी।
जुलाई 05	• नयी कार्यकर्ता वंदना बिसेन की नियुक्ति की गयी, जो पहले आइ.एन.एच.पी. परियोजना में कार्यरत थी। • दो दिवसीय प्रशिक्षण 18 से 19 जुलाई तक बालाघाट में समस्त स्टॉफ को स्वयं सहायता समूह व मील संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया । • फील्ड में कार्य करने में आसानी हुई । • समूह के लोगों की आजीविका में विकास करने के लिये सबसे पहले 1100 पपीता के पौधों का वितरण 21 से 26 जुलाई तक किया गया । गरीबी रेखा सर्वे सभी एनीमेटरों ने अपने–अपने पंचायत में 10–10 परिवारों का किये । • उस परिवार का फोटो, कहानी, सर्वे फार्म भोपाल भिजाया गया । • परियोजना क्षेत्र में एक अभियान मलेरिया निरोधक संबंधी चलाया गया । • तन्नौर एक्सप्रेस निकालना प्रारम्भ किया गया।	समस्त सहभागी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठक का आयोजन बालाघाट में किया गया। फलोद्यान विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। विकासखंड कृषि विभाग के साथ भी चर्चाएं प्रारंभ की गयी और वर्मी कम्पोस्ट पर महिलाओं को जोडने का प्रयास प्रारंभ हुए।

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
अगस्त 05	• भण्डेरी में 1 व परसाटोला में 1 समूह का गठन किया गया । • 24 अगस्त को महिला संघ का गठन किया गया । • 80 महिलाओं के बीच महिला संघ के संचालन के लिये चुनाव किया गया । • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला समूहों के लिये आयोजित की गयी और छात्र,छात्राओं की इस विषय पर प्रतियोगिता करवाई गयी । • स्वास्थ्य विभाग की जनकल्याणकारी • योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया । • पूर्व गठित समूहों की निरन्तर बैठक व सम्पर्क किये ।	एप्को से प्राप्त पर्यावरण जागरूकता अभियान का कियांवयन पेक्स परियोजना क्षेत्र में किया गया और वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उपयोग पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।
सितम्बर 05	• किनारदा पंचायत में 1 समूह गठन किये । • 11 सितम्बर को भण्डेरी में बैठक कर सभी एनीमेटरों व पर्यवेक्षकों को बताया गया कि कुल 30 महिलाओं से बात कर वर्मीखाद टॉके बनाने की तैयारी करायें । • समीक्षा बैठक में चारों सस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने–अपने कार्यों के संबंध में बताये । • आगे लक्ष्य में समूह गठन दारासिंह 10 समूह, ममता 5 समूह, मीनाक्षी 5 समूह, वंदना 5 समूह छाया 10 समूह कुल 35 समूह का लक्ष्य था । इस माह में कुल समूह 60 थे । • काम के बदले अनाज योजना के संबंध में चर्चा कर महिलाओं को तैयार किया गया । • 21 सितम्बर को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया 20 समूहों को कुल अभी तक 40 समूहों को दे दिया गया । • समूहों की निरंतर बैठक व सम्पर्क किये ।	समूहों को रिवॉल्विंग फंड के प्रबंधन पर सतत मार्गदर्शन और समूहों को संद्य के रूप में जोडने की प्रकिया प्रारंभ की गयी।

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
अक्टूबर 05	• परियोजना क्षेत्र भण्डेरी में समस्त स्टॉफ की बैठक जिसमें विषय –: 1 बैगा समूह 2 रिवाल्विंग फण्ड का मुद्दा 3 मुमकिन है अभियान 4 ब्याज का मुद्दा 5 जैव विविधता • 14 अक्टूबर को भण्डेरी में तथा 20 को पटपरी में सूचना प्रसार निदेशालय के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । • महिला संघ की बैठक 21 तारीख को विशेष रूप से वी.केन के संबंध में बता कर परिवर्तन प्रेरक बना कर महिला हिंसा पोस्टर व बैग दिये गये । • सूचना के अधिकार के संबंध में क्षेत्र की 100 महिलाओं को बताया गया । • निरंतर समूहों की बैठक व सम्पर्क किये गये	परियोजना में कार्यरत एनीमेटर को संगिनी की ओर से प्राप्त जेंडर फेलोशिप से जोडा गया जिससे परियोजना क्षेत्र में महिला मुद्दों पर कार्य किया जा सके। साथ ही मुमकिन है अभियान का क्रियांवयन प्रारंभ किया गया।

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
नवम्बर 05	• पंचायत स्तरीय समूह बैठक कर चयन मुद्दे की प्रक्रिया में प्रत्येक समूह से बात कर मुद्दों को निकालकर पंचायत स्तर पर सम्पूर्ण समूहों कि बैठक कर फिर सभी के मुद्दों को लेकर पंचायत तक लेकर किये । • जत्ता में 14 नवंबर को समूह की महिलाओं द्वारा नवाचार, गोदभराई व अन्नप्राशन किया गया । • 17 नवंबर को विशेष बैठक पैक्स क्षेत्र की समीक्षा हेतु रखी गयी जिसमें – 1 अच्छे समूह का चयन 2 महिला संघ की बैठक 3 बॉस के फर्नीचर बनाने संबंधी चर्चा 4 खामोशी तोड़ो अभियान 5 मील व पड़ाव के संबंध में 6 एनीमेटर के कार्यक्षेत्र के अनुभव • 23 नवंबर को महिला संघ, • जैविक खाद, • महिला ही महिला की दुश्मन क्यों और कैसे, महिला संघ क्यों बना, महिला संघ का नाम, छः पंचायतों की समस्याओं की पहचान करना । • 24 नवंबर को किनारदा संतोषी समूह और मेण्डकी दुर्गा समूह के साथ आर.ओ. श्री आमोद खन्ना ने चर्चा की • मजदूरी अधिनियम तथा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में । • महिला पुरूष के मध्य लिंग अनुपात में असंतुलन की स्थिति पर चर्चा । • करवाही पंचायत में 2 समूह का गठन, किनारदा पंचायत में 2 समूह व जत्ता में 1 समूह का गठन किया गया । • समूहों की निरंतर बैठक व सम्पर्क ।	आर.ओ. के द्वारा परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया गया और सहभागी संस्थाओं के साथ बैठक की गयी और समुदाय आधारित सहभागी आंकलन की प्रक्रिया संपादित करने तथा परियोजना के विस्तार आदि पर चर्चाएं की गयी।

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
दिसम्बर 05	• 17 को भण्डेरी में समस्त स्टॉफ बैठक में चर्चा 1 समूह की गतिविधियों एवं वर्तमान स्तर 2 रिवाल्विंग फण्ड की वापसी करने वाले समूह 3 केकती मशीन पर 4 माईक्रोफाईनेंस 5 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण 6 खामोशी तोड़ो अभियान • 24 दिसम्बर को भण्डेरी में तथा 25 दिसम्बर को जत्ता में किशोरी बालिका प्रशिक्षण किया गया । • वर्मी खाद के 30 टॉके किनारदा, मेण्डकी, करवाही, भण्डेरी पंचायत में पूर्ण किया गया।	एम.पी.व्ही.एच.ए. के सहयोग से किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
जनवरी	• 09 जनवरी को पिछले तीन माह में कार्यों का मूल्यांकन जिसमें प्रयास उपलब्धियॉ ऑकलन कैसे करेंगें, असफलताओं कारणों को लेकर विस्तृत बात किये । • 16 जनवरी को मेण्डकी पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण जिसमें सफल प्रयास व कहानी एड्स । गर्भावस्था के दौरान सावधानियॉ व खतरों के संबंध में बताया गया । इन्हीं विषयों पर करवाही पंचायत में 17 जनवरी को प्रशिक्षण दिया गया । • 17 जनवरी को किनारदा पंचायत में रोजगार गांरटी योजना के संबंध में ग्राम सभा का आयोजन किया गया । • 18 जनवरी को किनारदा में सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया ।	

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
फरवरी 06	• फरवरी 06 में समूह द्वारा बॉस फर्नीचर सामग्री बालाघाट में प्रदर्शनी लगायी गयी। • फरवरी को स्वयं सहायता समूह में बदलाव परियोजना रिपोर्टिंग, गॉव तय करना, सूचना का अधिकार पर चर्चा की गयी। • 18 फरवरी को सराईटोला में श्री सौमित्र व समस्त स्टॉफ के साथ फूलवारी समूह के साथ सी.बी.आई.ए. किया गया । • 19 फरवरी को करवाही लक्ष्मी समूह के साथ यही प्रकिया अपनाई गयी । • 21 फरवरी को उकवा में सी.बी.आई.ए. कर सभी संस्थाओं ने अनुभवों को बाटा तथा सीख ली । • फरवरी माह में ही अभियान के रूप में गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने बाबद् सभी पंचायतों में पाम्प्लेट के साथ संदेश दिया गया और व्यक्तिगत चर्चा कर आवेदन तैयार किया गया व ग्राम सभा की गयी । • 25 तारीख को महिला संघ बैठक रखी गयी जिसमें क्षेत्र की दस समस्याओं को लेकर पुरूष एवं महिलाओं की संघर्ष समिति के द्वारा मुद्दे तैयार किये गये । • 25 को क्षेत्रीय महिला संघर्ष समिति द्वारा चयनित मुद्दों को ज्ञापन स्वरूप पर संबंधित विभाग को हाथों हाथ दिया गया । • शेष समय समूहों की निरन्तर बैठक व सम्पर्क किये ।	परियोजना स्तर पर सी.डी. सी. की ओर से माइक्रो फाइनांस की प्रकिया प्रारंभ करने पर चर्चा की गयी और चारों परियोजना क्षेत्र को मिलाकर एक माइक्रो फाइनांस संस्थान गठन पर चर्चाए हुई। पर आगे की प्रकिया सामूहिक रूप से नहीं चल पायी, जी.व्ही.एम. द्वारा अपने परियोजना क्षेत्र में माइक्रो फाइनांस गतिविधि प्रारंभ करने की सूचना दी गयी।

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
मार्च	• मार्च 06 को आक्रोशित महिलाओं द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बैहर,, बालाघाट परसाटोला, मोहगॉव मार्ग पर चक्काजाम का अंशकालिक आयोजन किया गया । जिसमें प्रशासन की ओर से तहसीलदार, सुरक्षागार्ड बैहर समस्त मुद्दों की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा गया । • तथा दो महिनों के अन्दर मॉगों को पूरा न करने पर पुनः चक्काजाम किया जायेगा । • 3 मार्च को भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया । जिसमें महिला दिवस कैसे मनाया जायेगा तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ समस्याओं को लेकर बात किये । • पंचायत स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 8 मार्च को करवाही में किया गया । • होली मिलन समारोह ग्राम पंचायत करवाही में सभी महिलाओं के साथ मनाया गया । • मार्च में 30 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया गया । • निर्मित समूहों की निरन्तर बैठक व सम्पर्क किया गया ।	

क.	गतिविधियॉ	माह (अप्रेल 05 से)											
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1	एनीमेटर अनुवर्ती प्रशिक्षण	♦											
2	भ्रमण (स्वयं सहायता समूह)		♦										
3	80 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड	♦	♦	♦									
सतत् चलने वाली गतिविधियॉ													
4	स्वयं सहायता समूह बैठकें ''सशक्तिकरण''	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
5	समूहों का स्थानीय वित्तीय संस्थाओं में भ्रमण	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
7	समूहों के मुखियाओं का प्रशिक्षण 1 दिवसीय	♦	♦	♦							♦	♦	♦
8	अनुवर्ती एवं नियोजन बैठकें	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

माह	आयोजित किये गये कार्यक्रम	विशेष
अप्रेल 2006	• करवाही और बरवाही में स्वास्थ्य एवं पोषण पर गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रमों का आयोजन 29/04/2006 • स्वयं सहायता समूहों की सतत बैठकें • बैगा जनजाति का सर्वेक्षण	
मई 2006	• किशोर और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संचार शिविर का आयोजन 26 से 28 अप्रेल 2006 • सी.बी.आई.ए. प्रकिया की निरंतरता	एप्को का सहयोग प्राप्त
जून 2006	• पोषण और स्वास्थ्य पर सास बहु सम्मेलन का आयोजन 7/6/2006 ग्राम मेंडकी • आंगनवाडी केंद्रों का भ्रमण और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन	
जुलाई 2006 से अक्टूबर 2006	• राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी अधिनियम पर जागरूकता सप्ताह का आयोजन • सात दिवसीय अभियान 03/07/2006 से 09/07/2006 तक • बच्चों के समूहों द्वारा नुक्कड का प्रस्तुतिकरण	

SN	Village	Name of SHG	ST	SC	OBC	Gen	Total Members	RF CDC	RF SGSY
1	Mendki	Maa Laxmi	2	0	12	0	14	2000	5000
2		Durga	1	0	13	0	14	2000	5000
3		Sagar	3	0	7	0	10	2000	0
4		Sharda	1	0	9	0	10	2000	5000
5		Jwala Maa	4	0	6	0	10	2000	0
6		Godawari	0	0	15	0	15	2000	0
7		Jai Maa Seeta	9	0	1	0	10	2000	5000
8		Jai Seva	11	0	0	0	11	2000	0
9		Vishakha	0	0	10	0	10	2000	0
10		Krishna	3	0	7	0	10	2000	0
11		Jai Mahamaya Devi	0	0	11	0	11	2000	0
12		Ganga	0	0	12	0	12	2000	0
13	Parsatola	Durgawati	12	0	0	0	12	2000	5000
14		Gouri	10	0	0	0	10	2000	0
15		Mahila Jagriti	11	0	0	0	11	2000	0
16		Saraswati	5	0	7	0	12	2000	5000
17		Tara	14	0	0	0	14	2000	5000
18		Chandni	6	1	3	0	10	2000	0
19		Ragini	10	0	0	0	10	2000	0
20	Karwahi	Jai Bada Dev	11	1	1	0	13	2000	5000
21		Shri Sai	12	0	0	0	12	2000	5000
22		Shikha	11	0	0	0	11	2000	5000
23		Madhu	10	0	0	0	10	2000	0
24		Kiran	11	0	0	0	11	2000	0
25		Vaibhav	6	0	4	0	10	2000	0
26		Anjani	8	0	3	0	11	2000	0
27		Laxmi	4	7	1	0	12	2000	0
28		Sharda	11	0	0	0	11	2000	0
29		Mahakoushal	10	0	0	0	10	2000	0
30		Durge Maa	1	0	9	0	10	2000	0
31		Saraswati	6	0	4	0	10	0	0
Total			**203**	**9**	**135**	**0**	**347**	**60000**	**50000**

अप्रेल 2007 से सितंबर 2007

परियोजना के तीसरे और अंतिम वर्ष में संस्था ने निम्न बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया

- स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाना
- समूहों को सरकार की स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना से जोडना
- समूहों को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना
- समूहों का फेडरेशन तैयार करना

परियोजना ने प्रथम दो वर्षों के दौरान ही काफी संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन और उनका बैंक लिंकेज शामिल है। इसके अलावा महिलाएं सक्रियता से संगठित होकर कार्य करने का प्रयास कर रही थीं, परियोजना में इन लक्ष्यों की पूर्ति के पश्चात परियोजना में आगे कार्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि कुछ अन्य विषयों को समाहित किया जावे पर परियोजना में इसकी संभावना नहीं थी अतः एम.सी. से लगातार संपर्क और निवेदन किया गया कि परियोजना को विस्तार प्रदान करने की कार्यवाही करें।

एस.एस.आर.ओ. ताल के द्वारा परियोजना क्षेत्र भ्रमण के पश्चात भी यह अनुभव किया गया और उनकी ओर से भी एम.सी. को फीडबैक दिया गया, तत्पश्चात राज्य प्रतिनिधि पेक्स कार्यक्रम श्री संजीव रंजन, आर.ओ. श्री आमोद खन्ना और श्री प्रमेल गुप्ता के द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया जिसके आधार पर परियोजना प्रस्ताव को एक्सटेंशन के लिए भेजा गया।

परियोजना के तय लक्ष्यों के अनुरूप तीसरे वर्ष में काफी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया, परियोजना क्षेत्र में संस्था की पॅहुच और कार्य प्रभावी हुए साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी निकल कर सामने आये जिन पर और गंभीरता से कार्य किया जाना आवश्यक था। चूँकि यह नेटवर्क परियोजना थी अतः अन्य सहभागी संस्थाओं के परियोजना क्षेत्र से भी कुछ मुद्दे सामने आये जिन पर हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया जो इस प्रकार हैं

क.	संस्था	मुद्दे
1	कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर	• स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण • समूहों का फेडरेशन और • क्षेत्र में विकलांगता
2.	नवजीवन समाज विकास समिति	• वनोपज संग्रहण और विपणन • बैगा और एन.आर.ई.जी.ए.

इस तरह से दो तीन नये विषयों पर कार्य करना आवश्यक था चूंकि परियोजना में संसाधन काफी सीमित थे और किसी तरह के नये कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे अतः परियोजना क्रियांवयन व्यवस्था के तहत एस.एस.आर.ओ. और स्टेट कोआर्डिनेटर से चर्चाएं की गयी और परियोजना का मूल्यांकन किया गया।

मिड टर्म मूल्यांकन के लिए आर.ओ. और स्टेट कोआर्डिनेटर ने परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया संस्थाओ ंसे चर्चा की और परियोजना का मूल्यांकन किया, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक थे और पेक्स परियोजना में कार्यक्रम विस्तार के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और 6 माह की अवधि बढ़ाने हेतु सहमत हुआ। जिसके अंतर्गत परियोजना को काफी विस्तार प्राप्त हुआ और परियोजना लागत जो लगभग 16 लाख पर सीमित थी एक्सटेंशन के पश्चात परियोजना की कुल लागत 39 लाख हो गयी जिसमें अधिक व्यवस्थित तरीके से कार्य के अवसर प्राप्त हुए।

परियोजना के उददेश्य के तहत सहभागी संस्थाओं को अपने व्यवस्थापन संबंधी विकास पर भी कार्य करना था अतः संस्थाओं के लिए संसाधन आदि भी परियोजना के तहत जुटाये गये। इसी अवधि में संस्था सी.डी.सी. और नवजीवन का एफ.सी.आर.ए. का पंजीयन भी हुआ जिसके पश्चात नेटवर्क की सभी चारों संस्थाओं के पास एफ.सी.आर.ए. पंजीयन था जिसका लाभ यह हुआ कि संस्थाओं को बजट का आबंटन भी किया गया जो अभी तक जी.व्ही.एम. के माध्यम से संचालित था अब उसमें परिवर्तन किया गया, सभी सहभागी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। नवजीवन और एस.एम.एस. के लिए यह पहला अवसर था कि वे स्वतंत्र रूप से किसी परियोजना का क्रियांवयन करें, परियोजना क्रियांवयन के प्रत्येक पहलुओं जिसमें

- वित्त प्रबंधन,
- कार्यक्रम नियोजन,
- कार्यक्रम क्रियांवयन,
- अनुश्रवण और
- प्रतिवेदन शामिल था

कार्यक्रम और बजट का निर्धारण सभी संस्थाओं के लिए समान रूप से किया गया सहभागी संस्थाओं की परियोजना क्रियांवयन पर क्षमता वृद्धि और संस्थाओं में कुछ सिस्टम विकास को देखा जाए तो यह सुनहरा अवसर था जिसमें दानदाता संस्था की ओर से भी संस्था के विकास में काफी सहयोग प्रदान किया गया। सी.डी.सी. की ओर से भी सभी संस्थाओं को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान किया गया जिसमें लेखा प्रबंधन, प्रतिवेदन बनाने, कार्यक्रम नियोजन और क्रियांवयन पर व्यवस्था निर्धारण के प्रत्येक चरण में सहयोग और मार्गदर्शन दिया गया।

परियोजना कियांवयन

वर्ष 2005 से अप्रेल 2006 से सितंबर 2006 तक मूल परियोजना की गतिविधियों को कियांवित किया गया। अक्टूबर 2006 से परियोजना को एक्सटेंशन मिला और नये मुद्दों और गतिविधियों को संपादित किया गया।

क.	गतिविधियॉं	माह (अप्रेल 06 से)											
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
सतत् चलने वाली गतिविधियॉं													
1	स्वयं सहायता समूह बैठकें ''सशक्तिकरण''	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
2	समूहों के मुखियाओं का प्रशिक्षण 1 दिवसीय	♦	♦	♦							♦	♦	♦
3	अनुवर्ती एवं नियोजन बैठकें	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

- ***गतिविधियॉं जिन पर समूहों के साथ सतत कार्य किया गया :–***

  - ❖ समूहों की बैठके, बचत और समूहों का प्रबंधन निरंतर चलने वाली गतिविधियॉं हैं जिसमें परियोजना स्टॉफ की भागीदारी होना आवश्यक है, इन गतिविधियों से ही समूहों में निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। महिलाओं में व्यवहार में लाना ही इन गतिविधियों का उद्देश्य है। ताकि जब परियोजना की अवधि पूरी हो तो तब तक इसमें गतिशीलता लिये हुए स्थायित्व आ जावे।
  - ❖ परियोजना के दौरान समूह सदस्यों द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना जो महिलाओं की जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि करते हों।
  - ❖ विकास के अन्य मुद्दों पर भी महिलाओं की जानकारी बढ़ाना जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्राम स्वराज, कानून आदि प्रमुख हैं।
  - ❖ पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि वे अपनी बातें या विचार पंचायतों में रख सकें विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड सकें।

अक्टूबर 2006 से सितंबर 2007

ACTIVITIES	
1.1	**CAPACITY BUILDING OF FEDERATION**
1.1.1	Federation forming and Institution Building 2 days
1.1.2	Monitoring of SHGs
1.1.3	Developing systems on Monitoring of NREGA in 39 villages
1.1.4	Exposure visit- Federation (CARD and UDYOGINI)
1.2.1	Scientific Harvesting of NTFP
1.2.2	Market Linkages of NTFP
1.2.3	Joint Forest Management
1.3	**CAPACITY BUILDING OF STAFF**
1.3.1	Federation Formation and Strengthening
1.3.2	Joint Forest Management
1.3.4	Orientation of Disability and Persons with Disabilities Act, 1995 [Staff + Chief Functionary of Org.]
1.3.5	Perspective Building on PWD
1.3.6	Exposure visit of staff- Federation (Pune)
1.3.7	Exposure vsisit of staff-JFM (Mendalekha)
2	**MEETING OF FEDERATION**
2.1	Monthly meeting of Federation (4 federations once a month)
2.2	Mahasammelan of the Federation (once in 6 months)
3	**ADVOCACY ON NREGA**
3.1	Travel of Monitoring Committee of Federation
3.2	Publication of NREGA Bulletin
3.3	Stationary and Other costs to federation
4	**LITERACY OF SHG MEMBERS**
4.1	Tara Akshar (@Rs 1000 per person, 800 persons)
5	**DISABILITY**
5.1	Camp for Certification of PWD in 2 Blocks
5.2	District Support Group
5.3	ACCESS AUDIT
(a)	Training on Access Audit for 10 person [5 person from district and 5 from block level]
(b)	Conduct of Access Audit
5.4	Orientation for District NGO Network, 15 org. 2 from each org.
5.5	PWD Network building, Meetings quarterly at block level
5.6	Orientation for Sarpanch at Block level, 2 one day orientation
5.7	Report and Data Compilation
6	**BAIGA SUPPORT TEAM**
6.1	Travel of Baiga Support Team
6.2	Revolving Fund for Baiga Livelihood Support Activity
7	**STAFF MEETING**
7.1	Monthly Meetings (8 meetings)
7.2	MEAL Meetings (4 meetings)

स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावृद्धि /प्रशिक्षणों का आयोजन

प्रशिक्षण किसी भी प्रकार के कार्य में विशेष भूमिका निभाते हैं, गॉवों में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का निरंतर प्रशिक्षण उनके विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः परियोजना में समूहों को अधिकाधिक सीखने के अवसर उपलब्ध कराये गये। अलग अलग विषयों पर निरंतर प्रशिक्षणों का आयोजन संस्था द्वारा किया गया जिसका लाभ भविष्य में दिखायी देगा।

1.1	CAPACITY BUILDING OF FEDERATION
1.1.1	Federation forming and Institution Building
1.1.2	Monitoring of SHGs
1.1.3	Developing systems on Monitoring of NREGA in project villages
1.1.4	Exposure visit- Federation (CARD and UDYOGINI)
1.2.1	Scientific Harvesting of NTFP
1.2.2	Market Linkages of NTFP
1.2.3	Joint Forest Management

परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को अधिक सक्षम और समुदाय में स्थापित करने के उद्देश्य से उपरोक्त गतिविधियों का आयोजन परियोजना में किया गया।

- Federation forming and Institution Building : परियोजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में संगठित करने के पश्चात फेडरेशन की क्षमतावृद्धि हेतु इस विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन दो चरणों में किया गया।
    - प्रथम चरण में संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने प्रत्येक समूह के सदस्यों को एक एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें समूह के दस्तावेज संधारण और समूह को आगे बढ़ाने हेतु रणनीति बनायी गयी जिसमें बैंक और एस.जी.एस.वाय. से समूहों के लिंकेज के चरणों पर प्रशिक्षण दिया गया।
    - द्वितीय चरण में चैतन्य पुणे के स्टॉफ को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया, संस्था के परियोजना स्टॉफ के साथ तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन होटल हीरावत में किया गया। जिसमें संकुल, संद्य और स्वयं सहायता समूहों के बीच विभिन्न चरणों पर प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें स्वयं सहायता समूहों को संकुल और संद्य के साथ कैसे कार्य करेगा, साथ ही समूह छोटी छोटी आय सृजनात्मक गतिविधियॉ को कैसे संपादित करेगा, गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति कैसे की जावेगी, इस तरह के विषयों पर समझ बनायी गयी और विस्तृत कार्ययोजना बनायी गयी।

प्रशिक्षण नियोजन

SN	Name of SHG	Villages Covered	Date
1	• Tara • Gouri • Krishna	• Parsatola • Devarbeli	03/02/2007
2	• Jai Bada Dev • Kiran • Shikha	• Karwahi • Mendki	04/02/2007
3	• Jai Seva • Vishakha • Shri Sai	• Mendki • Karwahi	05/02/2007
4	• Saraswati • Durga • Jagriti	• Parsatola	06/02/2007
5	• Sagar • Sharda • Jwala	• Mendki	08/02/2007
6	• Mahamaya • Godawari	• Mendki	09/02/2007
7	• Madhu • Vaibhav • Anjani	• Karwahi	07/02/2007
8	• Sharda • Sarasawati	• Karwahi	10/02/2007

- Monitoring of SHGs : परियोजना के संचालन के दौरान संस्था के स्टॉफ निरंतर समूहों के संपर्क में रहते हैं और समूह बेहतर रीति से संचालित हो इसमें संस्था के स्टॉफ कार्य करते हैं। पर परियोजना के समापन के पश्चात कौन समूहों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और कैसे समूहों का स्तर एक सा बना रहेगा। अतः एक विचार उभर कर सामने आया कि क्यों ना परियोजना क्षेत्र में गठित समूहों के सदस्यों को मिलाकर एक निगरानी समिति बनायी जाये जो सभी समूहों की निगरानी कर सकें और निरंतर मार्गदर्शन दे सकें, किस गॉव में कौन सा समूह बिखर रहा है या किस समूह को किस क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। इन सारी चिंताओं के विचार के पश्चात एस.एच.जी. मॉनीटरिंग कमेटी बनायी गयी जिसमें परियोजना क्षेत्र के समूहों से 15 से 20 लोगों को इसका सदस्य बनाया गया। मॉनीटरिंग कमेटी को दो–दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन परियोजना क्षेत्र में किया गया। इस प्रशिक्षण को भी परियोजना स्टॉफ ने दो चरणों में किया।

    - निगरानी समिति में शामिल में सदस्यों का विवरण

- Developing systems on Monitoring of NREGA in project villages 10/09/2007 एन.आर.ई.जी.ए के लागू होने के पश्चात परियोजना क्षेत्र में इस विषय पर गंभीरता से कार्य किया गया और कोशिश की गयी कि प्रत्येक ग्रामवासी को इस कानून के बारे में जानकारी हो और प्रत्येक व्यक्ति जो काम चाहता है उसे 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हो।
    - पर इस कानून के लागू होने के पश्चात भी निरंतर इसके क्रियांवयन में काफी कमियॉ को निरंतर देखा गया जिसके बाद समूहों ने इस विषय पर हस्तक्षेप करना प्रांरभ किया और अपने अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए।
    - शासकीय तंत्र की कार्यप्रणाली और पंचायतों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह महसूस किया गया कि यदि इस कानून को वास्तविक रूप से लागू करना है तो इसके लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है और कुछ लोग होने चाहिए जो सतत इसकी निगरानी कर सकें अतः परियोजना क्षेत्र से अलग अलग पृष्टभूमि के लोगों को लेकर एक निगरानी समिति का गठन किया गया।
    - यह निगरानी समिति परियोजना क्षेत्र के गॉवों में एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यों पर नियमित नजर रख सके और देखे कि
        - लोगों को काम मिल रहा है अथवा नहीं
        - काम के पश्चात मजदूरी निर्धारित समय और दर से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं।
        - काम के लिए आवेदन लगाये जाते हैं या नहीं और यदि लगाये जाते हैं तो उस पर कार्यवाही की जाती है या नहीं।
        - पंचायत में योजना का क्रियांवयन किस प्रकार से हो रहा है पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका क्या है।
        - कार्यक्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
        - यदि किसी प्रकार की कमी दिखायी देती है तो यह समिति समुदाय में विशेष रूप से समूहों को इसकी जानकारी देगी और प्रशासन पंचायत और समुदाय के बीच संवाद या जानकारियों का आदान प्रदान करेगी।
        - समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पंचायतें अपने क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के प्रति जवाबदेह बने।
        - समिति ना सिर्फ कमियों का अवलोकन करेगी बल्कि बेहतर कार्यों की सराहना भी करेगी। साथ ही बेहतर कार्यों पर समुदाय में प्रचारित किया जावेगा।
    - इस तरह संस्था ने तीन पंचायतों को मिलाकर समिति का गठन किया जिसके सदस्यों का विवरण संलग्नक में देखें ।

Exposure visit- Federation (CARD and UDYOGINI) कार्ड और उद्योगिनी अध्ययन भ्रमण

लगभग दो वर्षों के कार्य के पश्चात आवश्यकता महसूस हो रही थी कि समूह के सदस्यों को आगे बढ़ाने और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जावे जिसमें

- समूह सदस्यों की क्षमता वृद्धि,
- महिलाओं में सकारात्मक नजरिये को बढ़ावा,
- देखकर सीखने का अवसर और
- महिलाओं की संगठित शक्ति का प्रयोग आजीविका संवर्धन हेतु किये गये प्रयासों का अवलोकरन
- विशिष्ट गतिविधियों जैसे महुआ संग्रहण, शहद संग्रहण और विपणन।

इन उददेश्यों को ध्यान में रखकर 6 पंचायतों की 30 महिलाओं के साथ दो दिवसीय अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्ड संस्था जो कि ग्राम द्युद्यरी जिला मंडला में स्थित है का भ्रमण किया गया जहॉ इस संस्था द्वारा शहद पर किये गये कार्य को महिलाओं ने बारीकी से देखा और उसके छोटे छोट पहलुओं को सीखने का प्रयास किया। शहद का वैज्ञानिक पद्धति से दोहन, शहद का परीक्षण, फिल्टर और बाजार व्यवस्था को समझा गया। संस्था इस कार्यक्रम को कैसे संचालित कर रही है इसे भी समझा गया।

इसके अलावा कार्ड संस्था द्वारा अन्य मुद्दों पर किये जा रहे कार्यों को भी देखा जिसमें महिलाओं को मसाला बनाने और वनोपज से त्रिफला आदि बनाने के कार्य को देखा गया। महिलाओं के लिए यह सब एक अनूठा अनुभव था जिसमें महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं की संगठित शक्ति से इतना कुछ हो सकता है।

महिलाओं के साथ दूसरे दिन पेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत मंडला में कार्य कर रही संस्था उद्योगिनी का भ्रमण किया गया, उद्योगिनी ने मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के साथ महुआ के संग्रहण और विपणन पर कार्य किया है साथ ही बकोरी ग्राम में महिलाओं के संगठन उजास का गठन कर उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से जोडा है। इन सभी गतिविधियों में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को देखना और उनसे सीखना इन महिलाओं के लिए अनूठा अनुभव था।

Scientific Harvesting of NTFP वनोपज का वैज्ञानिक पद्धति से दोहन

परियोजना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के कई सदस्य हैं जिनकी आजीविका का कुछ हिस्सा वनों से प्राप्त उत्पादों के संकलन और उनके विपणन से प्राप्त होता है। इन समूह सदस्यों से लगातार चर्चा के पश्चात कुछ समस्याएं सामने आयीं जैसे :–

- उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त ना होना।
- उत्पाद का दोहन उचित रीति से ना होने के कारण उचित मूल्य ना मिल पाना।
- अनुचित दोहन से भविष्य में या आने वाले कुछ वर्षों के लिए उत्पादन प्राप्त नहीं होने की आशंका।
- प्राप्त उत्पाद का स्वरूप बदले बिना विक्रय से पर्याप्त लाभ प्राप्त ना होना ।
- वनोपज के वैज्ञानिक रीति से दोहन पर जानकारी और जागरूकता की कमी।

इस तरह की कुछ समस्याओं पर यदि कुछ हस्तक्षेप किया जाये तो निश्चित रूप से परिवारों की आजीविका संवर्धन में कुछ भाग को सुनिश्चित किया जा सकता है इस सोच को लेकर समूह के सदस्यों को एक एक दिवसीय प्रशिक्षण भंडेरी में दिया गया, इस प्रशिक्षण का आयोजन संस्था के स्टॉफ के साथ उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग के फील्ड स्टॉफ को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से महुआ, आंवला, हर्रा, और बहेरा जो कि सहज रूप में परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध हैं इस तरह के उत्पाद के दोहन पर जानकारियॉ दी गयी साथ ही वनोपज के रखरखाव और उत्पाद से अन्य उत्पाद बनाने पर प्रशिक्षण दिया गया।

Market Linkages of NTFP वनोपज के विपणन पर बाजार व्यवस्था

वनोपज संग्रहण के पश्चात उनका विपणन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जानकारियों और Marketing skill की कमी से जितना लाभ संग्रहणकर्त्ता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता, अतः इस स्थिति को ध्यान में रखकर स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को विपणन और बाजार व्यवस्था पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में निम्न विषयों पर स्पष्टता बनाने का प्रयास किया गया।

- वनोपज का बाजार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
- वनोपज के बाजार की उपलब्धता
- क्षेत्र में उपलब्ध छोटे और बडे व्यापारी
- उद्योगिनी द्वारा महुआ विपणन प्रक्रिया
- संकलित वनोपज का सावधानीपूर्वक रखरखाव और मूल्य
- वनोपज व्यापार में बिचौलियों की भूमिका

उपरोक्त वर्णित विषयों पर एक एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन परियोजना क्षेत्र के सभी स्वयं सहायता समूहों के लिए किया गया। प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में परियोजना स्टॉफ के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया जिनसे प्राप्त जानकारी काफी उपयोगी और सारगर्भित रही।

Joint Forest Management 09/06/2007 संयुक्त वन प्रबंधन

परियोजना क्षेत्र के लगभग सभी पंचायतों में वन समितियॉ वन विभाग की ओर से गठित की गयी हैं पर एक भी समिति व्यवस्थित रीति से कार्य नहीं कर रही है। इसका मुख्य कारण है

- सदस्यों में जानकारियों का आभाव
- समिति में सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल नहीं करना
- वनविभाग द्वारा समिति सदस्यों की भूमिका पर स्पष्टता नहीं बनाना
- समिति के अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट नहीं होना आदि
- संयुक्त वन प्रबंधन के तहत समीतियों पर अंतर स्पष्ट ना होना

वन समितियॉ ग्राम विकास में कैसे भूमिका निभाएं इस विषय पर जानकारियों और सदस्यों में स्पष्टता बनाने, संयुक्त वन प्रबंधन पर स्पष्टता बनाने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में वन अधिनियम और संयुक्त वन प्रबंधन नियम के आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, प्रशिक्षण में स्थानीय वनकर्मियों को भी शामिल किया गया जिससे प्रशिक्षण व्यवहारिक और प्रभावी हो सके। प्रशिक्षण में अधोलिखित विषयों को शामिल किया गया।

- वन अधिनियम /संयुक्त वन प्रबंधन
- वन समितियों का गठन
- वन समितियों के प्रकार एवं उनके कार्य
- सदस्यों की भूमिका /जिम्मेदारियॉ
- संयुक्त वन प्रबंधन से ग्राम और ग्रामवासियों को लाभ

परियोजना स्टॉफ की क्षमतावृद्धि

1.3	**CAPACITY BUILDING OF STAFF**
1.3.1	Federation Formation and Strengthening
1.3.2	Joint Forest Management
1.3.4	Orientation of Disability and Persons with Disabilities Act, 1995 [Staff + Chief Functionary of Org.]
1.3.5	Perspective Building on PWD
1.3.6	Exposure visit of staff- Federation (Pune)

परियोजना के बेहतर परिणामों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है बेहतर और क्षमतावान स्टॉफ हो जिसके पास विषयानुसार जानकारी और क्षमताएं हों अतः परियोजना में इस आवश्यकता को समझा गया और परियोजना स्टॉफ को बेहतर प्रशिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया। सी.डी.सी. चूंकि अन्य तीन संस्थाओं के साथ समन्वय की भूमिका भी निभा रही थी अतः यह महत्वपूर्ण था सहभागी संस्थाओं के स्टॉफ की भी क्षमताओं को बढ़ाया जावे ताकि सभी परियोजना क्षेत्र में एक सा कार्य संपादित हो।

SN	Training Name	Details of the Programme
1.3.1	Federation Formation and Strengthening	• राजगुरूनगर पुणे में स्थित चैतन्य संस्था में पॉच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन सी.डी.सी. द्वारा समस्त संस्थाओं और समूह की कुछ प्रमुख सदस्यों के लिए किया गया। • प्रशिक्षण में ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता और समन्वयकों ने भाग लिया • पॉच दिवसीय प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूहों के बाद संकुल और संद्य निर्माण की प्रकिया आवश्यकता और पद्धति • संकुल और संद्य की व्यवस्था, नियम और संचालन प्रकिया • समूह, संद्य और संकुल के बीच आपसी रिश्ते और संचालन प्रकियाएं • ऋण प्रकियाएं और ऋण वसूली की रीतियॉ • समूह, संकुल, संद्य, बैंक और संस्था की भूमिकाएं • लद्यु वित्त प्रकियाओं में स्टॉफ की भूमिका और कार्य निर्धारण • रिर्पोटिंग प्रकियाएं • समूहों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं • ब्याज निर्धारण

1.3.2	Joint Forest Management	• सयुक्त वन प्रबंधन पर प्रशिक्षण आर.ओ. की ओर से श्री मुरली और श्री सत्यप्रकाश आर्य द्वारा दिया गया • वन विभाग के श्री पालेवार को संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया। • सभी संस्थाओं के फील्ड स्टॉफ और समन्वयक के साथ सभी परियोजना क्षेत्र की कम से कम तीन सदस्य जो वन समिति के सदस्य हैं को भी प्रशिक्षण में आमंत्रित किया गया। • तीन दिवसीय प्रशिक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन के विभिन्न आयामों को समझा गया और वन समितियों के ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनायी गयी। • प्रशिक्षण में संदर्भ सामग्री की व्यवस्था संस्था द्वारा की गयी और सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया।
1.3.4	Orientation of Disability and Persons with Disabilities Act, 1995 [Staff + Chief Functionary of Org.]	• विकलांगता के मुद्दे को समझने के उद्देश्य से दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन संस्था द्वारा किया गया। • प्रशिक्षण में ना सिर्फ सहभागी संस्थाओं बल्कि संस्थाओं की कार्यकारिणी समिति के सदस्य और जिले में कार्य कर रही अन्य संस्थाओं के संस्था प्रमुखों को भी इस प्रशिक्षण में आमंत्रित किया गया। • विषय को समझने के लिए भोपाल से श्री लक्ष्मीकांत विजयवर्गीय और रतलाम से श्री असीम अब्राहम को आमंत्रित किया गया। • इसके अलावा शासकीय विभागों से पंचायत एंव समाज कल्याण विभाग से विभाग प्रमुख को आमंत्रित किया गया।
1.3.5	Perspective Building on PWD	• विकलांगता के मुद्दे को अधिक प्रभावी रूप से परियोजना के साथ जोडा गया और प्रयास किया गया परियोजना क्षेत्र के सभी विकलांगों को उनके लाभार्थ नियोजित योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाया जावे। • दो दिवसीय दिशादर्शन या दृष्टि निर्माण कार्यशाला के संचालन के लिए बैतूल से नमन समिति से श्री शिशिर कुमार और श्री कापसे को आमंत्रित किया गया। • जिला पुर्नवास केंद्र की केंद्र प्रभारी को आमंत्रित किया गया। • निःशक्तजन समन्वय संगठन से श्री अनंत माहुले और अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से विषय पर जानकारी प्राप्त की गयी। • इस प्रशिक्षण में भी परियोजना स्टॉफ और अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया।
1.3.6	Exposure visit of staff-Federation (Pune)	• चैतन्य पुणे में पॉच दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही अध्ययन भ्रमण का कार्यक्रम बनाया गया। • चैतन्य के कार्यों को देखने और समझने का अवसर मिला जिसे परियोजना क्षेत्र में लागू करने में मदद मिली।

National Rural Employment Garantee Act. [NREGA]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम का लागू होना ग्रामीणों के लिए एक तरह से वरदान है पर इसका अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर क्रियांवित हो यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था। अतः संस्था ने इसे प्राथमिकता से परियोजना गतिविधियों के साथ जोडा और इस विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम परियोजना क्षेत्र की प्रत्येक पंचायतों में प्रत्येक परिवारों के लिए जाब कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समूह की बैठकों, नुक्कड सभाओं, ग्राम आधारित सभाओं का आयोजन किया गया। इसके प्रावधानों पर जागरूकता हेतु लगातार प्रयास किये गये और अलग अलग तरीकों से जागरूकता की गतिविधियॉ संचालित की गयी। इन पूरे प्रयासों के कुछ परिणाम जल्दी ही प्राप्त हुए और कुछ परिणाम धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं।

- मजदूरी के लिए धरना
    - संस्था द्वारा नियमित रूप से की गयी गतिविधियों के फलस्वरूप समुदाय में जागरूकता बढ़ी और प्रावधानों के मुताबिक रोजगार ग्यारंटी के कार्यों को लागू करने का प्रयास किया। ग्राम करवाही में इस योजना के तहत कार्य हुए पर मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के बाद भी नहीं हुआ और सरपंच ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, समूह की महिलाओं और अन्य ग्रामवासियों ने काफी प्रयास किये पर भुगतान नहीं हुआ अंततः समूह की महिलाओं ने जनपद स्तर पर धरना करने का फैसला किया, धरने की रूप रेखा समूह की महिलाओं ने बनायी और अपनी शर्तों के साथ जनपद कार्यालय के सामने धरना प्रारंभ किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने त्वरित कार्यवाही कर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करवाया और आगे काम भी खोला।
- आवेदन प्रक्रियाएं
    - संस्था ने समुदाय में इस बात को पूरे जोर से प्रचारित किया कि काम के लिए आवेदन लगायें और जब भी काम की आवश्यकता हो कम से कम 50 आवेदन एक साथ लगाये जावें लगभग एक वर्ष के निरंतर कार्य के पश्चात यह समुदाय में स्थापित हो रही है और समुदाय काम के लिए आवेदन लगाना प्रारंभ कर दिया है। यदि पंचायत आवेदन नहीं लेती तो आवेदन जनपद में लगाये जाते हैं और पावती भी प्राप्त की जाती है।
- पंचायत
    - पंचायतों का रवैया बडा उदासीन रहा है जिसकी वजह थी सरपंच का प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाना, परियोजना क्षेत्र की किनारदा पंचायत को छोड दें तो अन्य पॉच पंचायतों में कहीं भी पंचायतों ने प्रभावी कार्य नहीं किया और रोजगार ग्यारंटी को एक बोझ की तरह ही लिया, बहुत स्पष्टता के साथ रोजगार ग्यारंटी का कार्य नहीं किया गया।

- जागरूकता अभियान
    - पूरे परियोजना क्षेत्र में दो बार व्यापक स्तर पर रोजगार ग्यारंटी पर जागरूकता अभियान का संचालन किया गया, एक एक सप्ताह के अभियान के आयोजन से यह हुआ कि आज लगभग समुदाय के प्रत्येक स्तर पर रोजगार ग्यारंटी पर काफी स्पष्टता है।
- नुक्कड नाटक
    - संस्था ने रोजगार ग्यारंटी पर नुक्कड नाटक तैयार किया और इसका आयोजन प्रत्येक पंचायत में किया, प्रथम चरण में नुक्कड का आयोजन बच्चों के एक समूह के माध्यम से किया गया और बाद में युवाओं की एक नुक्कड टीम ने रोजगार ग्यारंटी पर नुक्कड का आयोजन किया जिससे काफी प्रभावी रूप से जानकारियॉ समुदाय में प्रचारित हुई।
- निगरानी समिति
    - रोजगार ग्यारंटी के कार्यों के ग्राम स्तर पर बेहतर क्रियांवयन हेतु परियोजना क्षेत्र में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति को रोजगार ग्यारंटी पर बेहतर जानकारियॉ प्रशिक्षण के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी हैं। इस समिति में स्वयं सहायता समूह के चयनित सदस्य, कुछ पंचायत प्रतिनिधि, युवा और स्वैच्छिक सदस्य। प्रारंभिक स्तर पर समिति के सदस्यों ने पंचायत और ग्राम स्तर पर निगरानी का कार्य प्रारंभ किया है साथ ही जनपद पंचायत स्तर पर छोटे छोटे हस्तक्षेप प्रारंभ हुए हैं।

Communication Strategy

संस्था ने पेक्स परियोजना के अंतर्गत कार्य करते हुए संचार रणनीति पर काफी कार्य किया और आज संस्था ने अपनी एक दस्तावेज एवं संचार ईकाई स्थापित की हुई, हालांकि यह ईकाई बहुत प्रारंभिक स्तर पर है पूरी स्पष्टता के साथ इससे जुडे हुए व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। संस्था के पास संचार रणनीति के तहत प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हुए हैं और विभिन्न तकनीकी क्षमताएं भी विकसित हुए हैं। पेक्स की राज्य संचार सहयोगी संस्था राइट सोल्युशन ने इस कार्य में संस्था को काफी सहयोग समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे आज संस्था में निम्न क्षमताएं उपलब्ध हैंः–

- रेडियो कार्यक्रम : छोटे छोटे रेडियो कार्यक्रम बनाने और उनकी नेरोकास्टिंग कर अपने कार्य को प्रभावी बनाने की क्षमता संस्था के पास है।
- डिजिटल स्टोरी : किसी भी घ्टना, किये गये प्रयास, प्रशिक्षण, परियोजना और कार्यक्रम की डिजिटल फोटो स्टोरी बनाने की क्षमता का विकास संस्था में हुआ है।
- वीडियो : वीडियो कवरेज और उसकी एडिटिंग की क्षमता का विकास संस्था में हुआ है।
- कार्टून : संदेशों को कार्टून के माध्यम से कहने के लिए कार्टून एक अलग ही माध्यम है सहयोगी संसाधन संस्था ने प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं में इस क्षमता का विकास किया जिसका प्रयोग कार्यकर्त्ताओं ने अपने कार्य के दौरान किया।
- नुक्कड नाटक : संस्था केयर द्वारा सहायतित परियोजना में व्यवहार परिवर्तन के लिए संचार माध्यमों में नुक्कड नाटकों का प्रयोग कर रही थी, संस्था ने 8 नुक्कड समूहों को तैयार कर उन्हें केयर के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया था। उन समूहों में से 2 बेहतर समूहों को संस्था ने चयनित कर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान तैयार किया और अलग अलग विषयों पर नुक्कड तैयार किये। आज नुक्कड के दो समूह हैं जो संस्था के साथ जुडे हुए हैं।
- स्क्रिप्ट लेखन : किसी भी तरह की संचार तरीकों के प्रयोग में स्क्रिप्ट का सर्वाधिक महत्व होता है। आप रेडियो के लिए कार्यक्रम बनायें, डिजिटल फिल्म या स्टोरी के माध्यम से कार्य को दर्शाना हो एक बेहतर स्क्रिप्ट आपके कार्य को और अधिक प्रभावी बनाती है। संस्था के पास उपलब्ध मानव संसाधन में इस तरह की क्षमताएं भी विकसित हुई हैं।
- फोटो दस्तावेजीकरण : फोटो दस्तावेजीकरण के अंतर्गत फोटो खीचने से लेकर उनके प्रस्तुतिकरण पर भी संस्था का स्टॉफ प्रशिक्षित हुआ है।

- वाल पेपर : संस्था ने परियोजना क्षेत्र में अपने कार्यों को वाल पेपर के माध्यम से समुदाय में पॅहुचाने का कार्य किया इसके लिए तन्नौर एक्सप्रेस की शुरूआत की गयी, यह वालपेपर सभी स्टॉफ मिलकर बनाते थे और परियोजना कार्यालय में इसे लगाया जाता था साथ ही साप्ताहिक बाजार में भी इसका प्रर्दशन किया जाता था। यह काफी बेहतर माध्यम था जिसने परियोजना की गतिविधियों को गॉव गॉव तक पॅहुचाया।
- कहानी लेखन : परियोजना के लगभग सभी स्टॉफ को केस स्टडी बनाने, सफल और असफल प्रयासों को लिखने पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया जिसका काफी अच्छा परिणाम निकला कि सभी स्टॉफ अपने कार्यों की सफलताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने क्षमता रखते हैं और स्टॉफ द्वारा लिखित काफी सफल प्रयासों का प्रकाशन पेक्स की कई पत्रिकाओं में हुआ।
- इंटरनेट और ईमेल : संस्था ई मेल और विभिन्न ई माध्यमों का बेहतर प्रयोग कर रही है, आज फील्ड स्टॉफ में भी इस तरह की क्षमताएं विकसित हुईं हैं। जिससे वे इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं हालांकि इनका प्रयोग अभी सीमित ही है पर प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं।

संस्था ने संचार तकनीक पर लगभग सभी स्टॉफ को प्रशिक्षित होने का अवसर उपलब्ध कराया और उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। संस्था में मानव संसाधन के साथ साथ संचार संसाधन भी उपलब्ध हैं। जैसे :

- कम्प्यूटर
- कैमरे
- लाइब्रेरी
- सूचना केंद्र
- वीडियो ऑडियो एडीटिंग उपकरण आदि

संस्था द्वारा इस दौरान छोटे छोटे प्रयास प्रारंभ किये और कुछ कार्यक्रमों का निर्माण किया

रेडियो कार्यक्रम : संस्था ने लगभग 13 छोटे छोटे रेडियो कार्यक्रम बनाये जिसमें स्वयं सहायता समूह, पोषण और स्वास्थ्य, सूचना के अधिकार और रोजगार ग्यारंटी प्रमुख हैं जिनकी नेरोकास्टिंग परियोजना क्षेत्र में की गयी।

डिजिटल स्टोरी : रोजगार ग्यारंटी पर डिजिटल स्टोरी बनायी गयी जिसे परियोजना क्षेत्र में समूहों और अन्य ग्राम समुदाय को दिखाया गया, संस्था द्वारा विकसित इस स्टोरी को सहभागी संस्थाओं को भी उपलब्ध कराया गया।

वाल पेपर : परियोजना स्टॉफ द्वारा मासिक वॉल पेपर का प्रकाशन हुआ जिसे साप्ताहिक बाजार हाट में प्रदर्शित किया गया।

अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी

स्थान	प्रशिक्षण का विषय	प्रतिभागी विवरण	आयोजन
जबलपुर	पंचायती राज व्यवस्था	अनिता कुमरे मंशाराम मरावी सुखलाल कुमरे गुहासिंह मरकाम	कासा
जबलपुर 21–22 जुलाई 2006	पंचायत महिला सम्मेलन	सतवंती पंद्रे, पंच गुदड सिंह मरकाम, पंच अनिता धुर्वे, पंच भागवती धुर्वे, पंच	कासा और मध्यांचल फोरम
दिल्ली 26 मार्च 06	एन.आर.ई.जी.ए. पर सम्मेलन	सुलन बाई कमला ठाकरे	डेव्हलपमेंट अर्ल्टनेटिव्स
पुणे 10 से 15 मार्च 07	समूह, संकुल एवं संघ गठन प्रशिक्षण	मनीषा परते	सी.डी.सी. चैतन्य
दिल्ली	इंडिया सोशल फोरम	सुगनी मरकाम	समर्थन
रूपझर 18/03/07	संघ गठन	मनीषा परते	नवजीवन
मंडला, घुघरी 22–23/02/07	अध्ययन भ्रमण	कमला वासनिक जैवंती वासनिक सतवंती पंद्रे हसमंत उयके कला धुर्वे सुखवारो विश्वकर्मा इंद्रा चौरठे कपूरा बाई	सी.डी.सी.
जबलपुर	किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण	परियोजना क्षेत्र के 4 किशोर बालक बालिकाएं	एम.पी.व्ही.एच.ए.
बालाघाट 21/03/07 से 30/03/07 तक	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजनांतर्गत मेला में स्टॉल बांस निर्मित वस्तुएं	परसाटोला की दो महिलाएं	जिला पंचायत बालाघाट

विषयाधारित बैठकें

दिनॉक	विषय	स्थान
15 / 08 / 2006	पंच सरपंच के साथ बैठक	परियोजना कार्यालय भंडेरी
05 / 01 / 2007	क्लस्टर स्तर पर संद्य गठन हेतु स्वयं सहायता समूह प्रमुखों की बैठक	परियोजना कार्यालय भंडेरी
08 / 01 / 07 25 / 01 / 07 19 / 02 / 07	महिला संद्य की बैठकों का आयोजन	परियोजना कार्यालय भंडेरी
28 / 09 / 06	महिला संद्य और परिवर्तन प्रेरकों की बैठक, महिला हिंसा पर विशेष कार्यक्रम	परियोजना कार्यालय भंडेरी
03 / 02 / 07 से 10 / 02 / 07	ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण	परियोजना के सभी गॉवों में
12 / 02 / 07	स्वयं सहायता समूह ग्रेडिंग सम्मेलन	भंडेरी
13 / 02 / 07	दीप से दीप जलाओ कार्यक्रम एड्स जागरूकता रैली	भंडेरी से परसाटोला
14 / 02 / 07	किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण, परियोजना क्षेत्र के 20 बच्चों की प्रतिभागिता	परियोजना कार्यालय भंडेरी
21 / 03 / 07 से 30 / 03 / 07	एन.आर.ई.जी.ए. पर जागरूकता अभियान	परियोजना क्षेत्र की समस्त 6 पंचायतें
17 / 07 / 06	ग्रेडिंग सम्मेलन का आयोजन पर सफल नहीं	भंडेरी
22 / 11 / 06	एन.आर.ई.जी.ए. पर सामूहिक बैठक	हीरापुर
24 / 11 / 06	एन.आर.ई.जी.ए. पर सामूहिक बैठक	चारटोला
11 / 11 / 06	एन.आर.ई.जी.ए. पर सामूहिक बैठक	मेंडकी
02 / 11 / 06	एन.आर.ई.जी.ए. पर सामूहिक बैठक	मेंडकी
24 / 09 / 06	सहभागी ग्रामीण आंकलन	करवाही बुदद्धूटोला

दिनॉक	विषय	स्थान
03 से 09 जुलाई 2006	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पर जागरूकता अभियान	परियोजना क्षेत्र की समस्त 6 पंचायतें
27 से 29 जुलाई 2005	समर केम्प	परियोजना क्षेत्र की समस्त 6 पंचायतें
29-04-06	नवाचार –50 महिलाएं	बुदद्धुटोला
15-05-06	सास बहू सम्मेलन – 45 महिलाएं	सरेखा
09-05-06	गोदभराई – 55 महिलाएं	मेंडकी
07-06-06	सास बहू सम्मेलन – 20 महिलाएं	मेंडकी
17 से 26 जुलाई 2006	सूचना का अधिकार प्रशिक्षण	परियोजना क्षेत्र की 6 पंचायतें और अतिरिक्त 4 पंचायतें
27-07-2006	गोद भराई – 35 महिलाएं	करवाही
04-10-2006	किशोरी बालिका प्रशिक्षण	सरेखा
27-10-2006	स्वयं सहायता समूह सम्मेलन	परियोजना कार्यालय भंडेरी
11 और 20 नवं. 06	गॉव के विकास और पंचायत के मुददे पर सामूहिक बैठक	मेंडकी
13-11-2006	पंचायत स्तरीय बैठक, एन.आर.ई.जी.ए. पर	करवाही
17-11-2006	एन.आर.ई.जी.ए. के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन	जनपद पंचायत बैहर

स्टॉफ बैठकें एवं प्रशिक्षण

दिनॉक	स्थान	रिमार्क
11-04-2006	परियोजना कार्यालय भंडेरी	स्टॉफ बैठक
13-04-2006	एस.आई.आर.डी. जबलपुर	छाया राहंगडाले
25-04-2006	नवजीवन उकवा	समस्त सहभागी संस्थाएं
07-05-2006	परियोजना कार्यालय भंडेरी	स्टॉफ बैठक
13-05-2006	परियोजना कार्यालय भंडेरी	स्टॉफ बैठक
01-06-2006	सी.डी.सी. बालाद्यात	स्टॉफ बैठक
08-06-2006	नवजीवन उकवा	समस्त सहभागी संस्थाएं
15-06-2006	सी.डी.सी. बालाद्यात	स्टॉफ बैठक
25-06-2006	सी.डी.सी. बालाद्यात	स्टॉफ बैठक
02-07-2006	परियोजना कार्यालय भंडेरी	स्टॉफ बैठक
11-08-2006	नवजीवन उकवा	समस्त सहभागी संस्थाएं
18-09-2006	भोपाल	
07-10-2006	सी.डी.सी. बालाद्यात	स्टॉफ बैठक
29-31-10-06	एस.आई.आर.डी. जबलपुर	साथी शिक्षक प्रशिक्षण
04-11-2006	परियोजना कार्यालय भंडेरी	स्टॉफ बैठक
29-30-11-06	बालाद्यात	मील मीटिंग
14-12-2006	बालाद्यात	स्टॉफ बैठक
19-01-2007	बालाद्यात	स्वयं सहायता समूह प्रतिवेदन
07-15-03-07	पुणे	संद्य और संकुल गठन
19-03-2007	सी.डी.सी. बालाद्यात	स्टॉफ बैठक

Community Based Impact Assessment [CBIA]

समुदाय आधारित प्रभाव आंकलन

समुदाय आधारित प्रभाव आंकलन की प्रक्रिया के पीछे मूल उद्देश्य था कि परियोजना के क्रियांवयन के फलस्वरूप समुदाय में क्या प्रभाव पड रहे हैं और परियोजना के उन हितभागियों के विचार परियोजना के प्रति क्या हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समय समय पर परियोजना स्टॉफ द्वारा संचालित किया जाता रहा और इस प्रक्रिया के लिए बनाये गये रजिस्टरों में विचारों का दस्तावेजीकरण किया गया।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन हितभागियों से चर्चाएं की गयीं इसे नीचे दिये गये चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

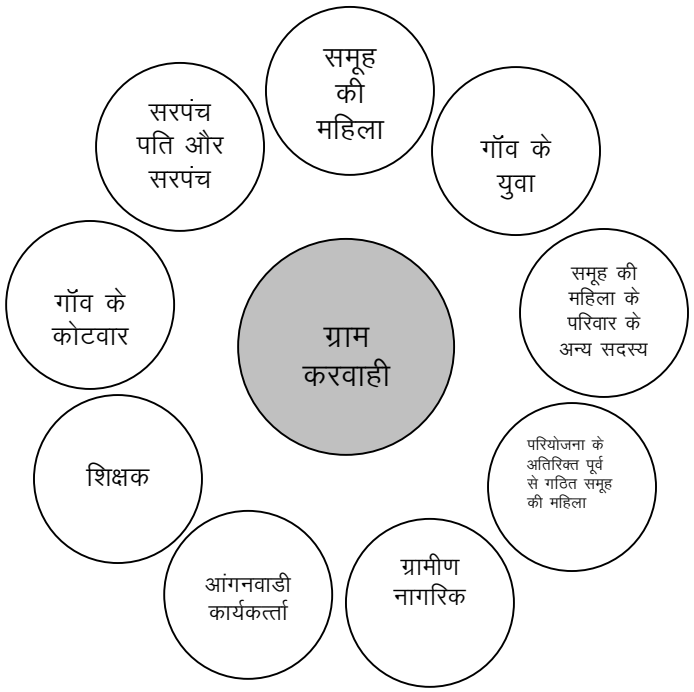

यहॉ प्रतिवेदन में कुछ हितभागियों से की गयीं चर्चाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जो परियोजना के प्रभाव को दर्शाते हैं। यह प्रक्रिया परियोजना के लगभग 18 माह बीत जाने के पश्चात की गयी थी।

ग्राम पंचायत – किनारदा
ग्राम – सरई टोला
समूह – फुलवारी

❖ महिला समुह के बारे में आप क्या सोचते हैं?
अभी तो समूह अच्छा चल रहा है हर महिने बैठक होती है मैने रजिस्टर भी देखा जसमें जागरूकता से संबंधी बाते लिखी थी लेकिन अब सामने आकर बात करतीं हें ।

❖ आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं?
महिलाओं में बोल चाल और निर्णय लेने की बात देखी है हाल ही में सूखबत्ती के राशन कार्ड की बात को लेकर महिला एक साथ ग्राम सभा में बोलीं ।

❖ क्या आप यह एहसास करते है या फिर गांव वाले भी ?
हां मुझे तो एहसासा हो रहा है कि महिलाओं में परिवर्तन आया है और गांव वाले भी एहसास कर रहे हैं।

❖ इस समुह को आगे कैसा बढ़ाया जाये ?
समुह के लिये ऐसा कुछ व्यवसाय हो जा इन्हें स्थायी आमदनी दे

❖ आपके मन में कैसे व्यवसाय को लेकर सोच है?
मेरे मन में है कि साबून बनाने का कार्य किया जा सकता है ।

❖ आपके मन में यह व्यवसाय की सोच कहां से बनी?
मैने पहले 10 वर्षों तक साबुन कंपनी में कार्य किया है तथा मुझे यह काम आता है ।

❖ क्या आप और लोगों को सिखा सकते है ?
हां मैं सिखा सकता हूँ

❖ इस व्यवसाय में कितने पैसों की आवश्यकता होती है?और क्या यह गांव में कर पाना संभव है?
इसमें अधिक पैसा लगेगा ।

❖ क्या लोग लोग वास्तव में कर पायेंगे ?
मुझे आप सोचने के लिये गहराई में डाल चुके हैं कि अब मुझे खुद इन सवाल के जवाब देने में सोचना पड़ रहा है लोग बाहर जाकर मजदुरी में पैसे कमाने की धुन में कर लेते हैं किंतु इसमें केमिकल व कच्चे माल की जरूरत है गांव में नही हो पायेगा ।

❖ तो फिर क्या करना चाहिये ?
अभी तो कुछ ऐसा समझ नही आ रहा है बाद में बताउंगा ।

नाम – सुखचंद खण्डाते
ग्रम – पटपरी
समय– 1 से 2 के बीच
पद – सचिव

- ❖ महिला समूह के बारे में आपकी राय क्या है?
  सेल्फ डिपेंड होना चाहिये अपने अधिकारों पर जागरूक बने,आने वाली पीढत्री के लिये प्रेरण स्त्रोत है ।
- ❖ महिलाओं में आप क्या बदलाव देखते हैं?
  पहले से खुलापन आया है मेरी और अपेक्षा है कि पंचायत के ग्राम सभा में महिलाओं की और अधिक भागीदारी बढ़े ।
- ❖ पहले क्या स्थिती थी ?
  पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन आया है अब सब लोग समूह के रूप में ओ है और बोलते भी हैं ।
- ❖ ऐसा कोई मुद्दा जो महिलाओं द्वाराग्राम सभा में रखा गया हेा और सफलता मिली हो ?
  अगस्त माह में टीकाकरण नही होने पर गांव की बहुत महिलाओं ने आकर बोला था जिससे महिलाओं ने स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी को शिकायत की ।
- ❖ इससे क्या लगता हे कि लोगों की सामुहिक सक्रियता बढ़ी है ?
  हां इससे लगता है कि लोगों की सामूहिक रूप से सामने आ रहे हैं ।
- ❖ महिलाओं के रोजगार को लेकर आगे क्या सोच रहे हैं ?
  समुह के रूप में तो कोई योजना नही है पर रोजगार गारण्टी के तहत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जायेगा तथा इसका ध्यान रखा जायेगा ।

नाम – प्रताप सिंह धुर्वे (सरपंच)
ग्राम – पटपरी
पंचायत – किनारदा
दिनॉक – 20.2.06
समय – 11से 12 बजे

- आपके यहां महिला और पुरूष दानों के ही समूह बनाये गये हैं आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं ?

  पुरूषों का कुछ समझ नही आता है कब बैठते हैं क्या बात करते हैं कितनी बचत करते हैं संस्था द्वारासमूह बनाया गया है अच्छे ढंग से चला कर उसका प्रंबधन कर रहे हैं अच्छा है आगे और अच्छे से चलना चाहीये ।
- आपने कभी देखा की महिलाओं की सामाजिक समस्या के प्रती सोच बनी है?

  हां दो बार ऐसे मुद्दे को लेकर आये जो पूरे लोगों का था ।
- वो क्या मुद्दे थे ?

  1.पटपरी में टीकाकरण नियमित रूप से नही होता था

  2. सोसायटी के सेल्समेन के बर्ताव और अनियमितता पर उन्हें इस मुछद्दे में सफलता भी मिली है ।
- आपको क्या लगता है कि इनकी जीवन शैली में सुधार आ रहा हैं ?

  हां यह सब देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित्त रूप से इनमें परिवर्तन हो रहा है सुधार आ रहा है तथा इनका आर्थिक विकास भी हो रहा है ।
- महिलाओ को आगे बढ़ाने में आपकी क्या सोच है?

  अभी तो हाल में एक समूह को 65 हजार की योजना से जोड़ा हूॅ जिसमें वृक्षारोपण का कार्य कर है ।
- फुलवारी समूह ने तालाब निर्माण का कार्य लिया था यह कब तक संभव है?

  उन्होने तो पिछले ग्राम सभा में लिखाया है मुझे ध्यान है इसे मै जल्द करवाने की कोशिश करूंगा ।

प्रतिवेदन और अनुश्रवण

परियोजना की प्रगति की समीक्षा और नियमित जानकारी के लिए प्रतिवेदन की अलग अलग प्रक्रियाएं अपनायी गयीं जैसे :

- मासिक प्रगति प्रतिवेदन
    - संस्था द्वारा अपने स्टॉफ से मासिक प्रतिवेदन लिया जाता था जिसके लिए दो प्रकार के प्रपत्र बनाये गये थे दोनों प्रपत्रों में अलग अलग जानकारियॉ मासिक आधार पर स्टॉफ द्वारा जमा की जाती थी। उनका विश्लेषण और प्रतिभाव समन्वयक द्वारा किया जाता था और आवश्यक सुझाव व कार्यपद्धति पर चर्चा की जाती थी।
- केस स्टडी, सफल प्रयास
    - समय समय पर स्टॉफ अपने द्वारा किये गये कार्यों को केसस्टडी, सफल या असफल प्रयासों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। इन प्रयासों को आगे आर.ओ. को दिया जिससे इनका प्रकाशन पेक्स की मासिक न्यूजलेटर में हुआ।
- मासिक भ्रमण नियोजन
    - सभी स्टॉफ अपना मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनाकर माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करते और समन्वयक के साथ नियोजन पर समीक्षा की जाती थी इसमें आवश्यक बदलाव किया जाता और माह के कार्यक्रम निर्धारित किये जाते ।
- त्रैमासिक इनपुट एक्टिविटी रिर्पोट
    - त्रैमासिक आधार पर परियोजना स्टॉफ के साथ मिलकर इनपुट एक्टिविटी प्रतिवेदन तैयार किया जाता था, इसमें प्रथम दो वर्षों में एक साथ एक प्रतिवेदन बनाया जाता था जो सी.डी.सी. के द्वारा पूर्ण किया जाता था, अक्टूबर 2006 से सभी संस्थाएं अपनी रिर्पोट बनाती थी जिसे सी.डी.सी. द्वारा एक नेटवर्क रिर्पोट बनाकर आर.ओ. और एम.सी. को भेजी जाती थी।
- आउटपुट मॉनीटरिंग रिर्पोट
    - परियोजना में प्रति 6 माह में मील प्रक्रिया के तहत आउटपुट मॉनीटरिंग रिर्पोट समस्त परियोजना स्टॉफ द्वारा बनायी जाती थी। इसकी प्रक्रिया भी इनपुट एक्टिविटी प्रतिवेदन के आधार पर ही संपादित की जाती थी।

- वित्तीय प्रतिवेदन
    - अक्टूबर 2006 से त्रैमासिक आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन बनाया जाता था, अक्टूबर 2006 के पूर्व की स्थिति में 6 माह के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन बनाया और एम.सी. को भेजा जाता था। सभी संस्थाओं ने अक्टूबर 2006 के बाद तिमाही आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन बनाना प्रारंभ किया, सभी संस्थाओं के प्रतिवेदन का समायोजन कर प्रतिवेदन एम.सी. को उपलब्ध कराया जाता था।

परियोजना क्रियांवयन के अवसर

- परियोजना का क्रियांवयन सहभागी संस्थाओं के बीच आपसी सहमति के आधार पर तय रणनीति के अनुसार किया गया जिसमें सभी संस्थाओं को वित्तीय संसाधन समान रूप से उपलब्ध कराये गये और सभी का समायोजन और वित्तीय रखरखाव सी.डी.सी. कार्यालय बालाघाट से किया जाना था।
- दो वर्षों के पश्चात सभी सहभागी संस्थाओं ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भी परियोजना के वित्तीय रखरखाव हेतु अवसर प्राप्त होने चाहिए क्योंकि सभी के पास एफ.सी.आर.ए. पंजीयन है साथ ही पेक्स की ओर से वित्तीय लेखा प्रबंधन पर संस्था प्रमुखों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है अतः संस्थाएं सक्षम हैं कि वे पूर्ण रूप से परियोजना क्रियांवयन में भागीदार बन सकें। अतः एक्सटेंशन के पश्चात एक अवसर था जिसमें सभी चारों संस्थाओं के बीच गतिविधियों का विभाजन समान रूप से किया गया और अक्टूबर 2006 से इस व्यवस्था के अनुसार कार्य किया गया।
- सी.डी.सी. की ओर से सभी संस्थाओं को परियोजना क्रियांवयन चार्ट उपलब्ध कराया गया और गतिविधियों के आधार पर बजट शीट भी सभी संस्थाओं को दी गयी साथ ही दो दिवसीय उन्मुखीकरण भी परियोजना स्टॉफ के लिए आयोजित किया गया जिसमें आगामी 3 माह की कार्ययोजना का नियोजन भी किया गया।
- लेखा प्रबंधन हेतु सी.डी.सी. की ओर से सभी संस्थाओं को एम.सी. का फाइनॉनशिएल मेनुएल की एक एक प्रति भी उपलब्ध करायी गयी, साथ ही वित्तीय प्रबंधन के लिए समस्त मार्गदर्शन के लिए लेखापाल और परियोजना समन्वयक हमेशा उपलब्ध रहे।
- श्री महावीर, नवजीवन और जी.व्ही.एम. संस्था में पहली बार एफ.सी. तहत अनुदान प्राप्त किया और उसका प्रबंधन प्रारंभ किया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सी.डी.सी. ने छोटी छोटी प्रबंधकीय जानकारियॉ सभी संस्थाओं को लिखित और मौखिक रूप से उपलब्ध करायी।

प्रोत्साही वातावरण

- परियोजना के क्रियांवयन के दौरान काफी ऐसे अवसर, परिस्थितियॉ, घ्टनाएं घ्टित हुईं, व्यक्ति और संस्थाएं और परियोजनाएं आयीं जिनसे परियोजना के क्रियांवयन में काफी मदद मिली जैसे
    - संस्था की केयर द्वारा वित्त पोषित **आई.एन.एच.पी.** परियोजना जिसे संस्था जिले के सभी विकासखंड में क्रियांवित कर रही थी, इसमें स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग से संस्था का सीधे संबंध और समन्वय था जिससे इस विषय पर पेक्स परियोजना क्षेत्र में कार्य का बेहतर प्रभाव दिखायी देता है। इस परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पेक्स परियोजना के स्टॉफ की विषयाधारित क्षमतावद्धि में दिखायी देती है। परियोजना में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार हुआ। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वास्थ्य और पोषण की सेवाओं की मांग के प्रति जागरूक और सक्षम हुईं और उन्होंने अपने गॉव के लिए बेहतर प्रयास किया।
    - **यू.एन.डी.पी.** के सहयोग से **इनोवेशन फंड** की एक **एड्स जागरूकता** परियोजना जिसका क्रियांवयन संस्था ने अगस्त 2006 से जुलाई 2007 के दौरान पेक्स परियोजना क्षेत्र की 10 पंचायतों में किया, इसका लाभ यह हुआ कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पंचायत प्रतिनिधि और शालाओं में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा हुई। साथ ही पंचायत और शालाओं में संस्था के पॅहुच और पहचान बनी।
    - **स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना** के अंतर्गत संस्था ने जिला पंचायत के साथ अनुबंध किया जिससे परियोजना क्षेत्र जो कि सी.बी.आई. के सेवाक्षेत्र के अंतर्गत आता है में कार्यअनुबंध होने से संस्था को परियोजना के अंतर्गत बनाये गये समूहों की ग्रेडिंग और बैंक से संबंध बनाने में लाभ मिला जिसका फायदा समूहों को हुआ। हालांकि प्राथमिक स्तर पर बहुत अधिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ जिसकी वजह थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का समूहों में शामिल ना होना। धीरे धीरे इसका लाभ समूहों को प्राप्त हुआ और आगे भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ समूहों को प्राप्त होता रहेगा।
    - **बिरला सन लाईफ** संस्था ने समूह की सदस्यों को जोखिम से बचाने हेतु छोटा और लाभकारी बीमा उपलब्ध कराया जिसके लिए संस्था और बिरला सन लाइफ के साथ हुए अनुबंध में **बीमा कवच** नामक बीमा सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी इसके अंतर्गत परियोजना अवधि तक 340 समूह की महिलाएं इस बीमा योजना का लाभ ले पायी है।
    - **एम.पी.व्ही.एच.ए.** की सदस्य संस्था होने के कारण संस्था के कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण के अवसर संस्था से प्राप्त हुए जिसमें किशोर और किशोरी स्वास्थ्य प्रमुख है। साथ ही परियोजना क्षेत्र की महिलाओं, युवतियों को प्रशिक्षण में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ।

- **कासा** के साथ संस्था का बेहतर समन्वय होने की वजह से विभिन्न विषयाधारित अभियानों में सहयोग प्राप्त हुआ जिससे परियोजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन संभव हो सका, परियोजना के प्रारंभिक वर्ष में ही पंचायत चुनाव जागरूकता अभियान के लिए कासा से प्रचार प्रसार सामग्री की उपलब्धता तथा विशिष्ट गतिविधियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ जिससे अभियान काफी प्रभावी बन सका। कासा की ओर से लगातार इस तरह का सहयोग संस्था को प्राप्त हुआ जैसे एन.आर.ई.जी.ए. पर एक सप्ताह के अभियान के लिए सहयोग भी प्राप्त हुआ और सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सामग्री काफी मात्रा में उपलब्ध करायी गयीं। जिसका लाभ रोजगार ग्यारंटी के न्यूनतम प्रावधानों को लागू करने में मदद मिली और समुदाय सक्रियता से इस मुद्दे पर कार्य कर रहा है। कासा की ओर से **रोजगार यात्रा** का पडाव भी परियोजना क्षेत्र रहा जिसका लाभ भी परियोजना को प्राप्त हुआ।
- **सर्मथन** भोपाल के साथ सूचना के अधिकार विषय पर परियोजना क्षेत्र में कार्य किया गया जिसके काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, समर्थन द्वारा उपलब्ध करायी सामग्री और संसाधन सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार में लाभकारी साबित हुई जिसके परिणाम धीरे धीरे परियोजना क्षेत्र में दिखायी दे रहे हैं।

- परियोजना के क्रियांवयन के दौरान पेक्स कार्यक्रम के राज्य स्रोत संस्थाओं **ताल, समावेश और राइट सोल्यूशन** का निरंतर सहयोग संस्था को परियोजना क्रियांवयन में प्राप्त हुआ। मुख्य रूप से **श्री आमोद खन्ना, श्रीमती रानू भोगल, श्री आदित्य मालवीय** और **श्रीमती सुष्मिता मालवीय** द्वारा किये गये परियोजना क्षेत्र भ्रमण से काफी नयी नयी बातों को सीखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** की ओर के जिला कार्यक्रम अधिकारी **श्री अशफॉक खान** भी परियोजना के विभिन्न पहलुओं से जुडे और उनका परोक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, साथ ही **केयर** के कार्यक्रम अधिकारी **श्री शशीकांत यादव** का जीवंत जुडाव परियोजना से रहा आपके द्वारा परियोजना क्षेत्र का समय समय पर भ्रमण किया गया और आवश्यक सहयोग परियोजना स्टॉफ को उपलब्ध कराया गया।
- परियोजना के क्रियांवयन के दौरान अध्ययन भ्रमण के लिए जिन संस्थाओं का चयन किया गया उनका प्रत्येक स्तर पर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसमें प्रमुख रूप से **पुणे चैतन्य, कार्ड द्युद्यरी और उद्योगिनी मंडला** से समय समय पर जानकारी और सहयोग प्राप्त हुआ।
- नेटवर्क के रूप में संस्था को परियोजना क्रियांवयन में सहयोगी संस्थाओं **एस.एम.एस., जी. व्ही.एम. और नवजीवन** का सहयोग प्राप्त हुआ और सहयोगी वातावरण बना जिससे हम परियोजना को प्रभावी रूप में लागू करने में सक्षम हो पाये।

परियोजना कियांवयन के साढ़े तीन वर्षों में प्राप्त सहयोग संस्था को विभिन्न संस्थाओं के साथ सबंध निर्माण और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने में लाभदायी रहा, आशा है इसका निरंतर लाभ संस्था को प्राप्त होता रहेगा।

चुनौतियॉ

परियोजना के कियांवयन में काफी चुनौतियॉ भी संस्था के सामने आयीं जिसने कहीं ना कहीं परियोजना कियांवयन पर प्रभाव डाला जैसे :

❑ परियोजना स्टॉफ :

- परियोजना स्टॉफ का लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाना या स्टॉफ में कार्य के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की कमी एक प्रमुख चुनौती रही। जिसमें परियोजना की ओर से दिये जाने वाले मानदेय की कमी भी एक कारण रहा है। या स्टॉफ कार्य के दौरान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से गंभीरता से कार्य नहीं कर पाते।
- परियोजनाओं की निरंतरता और स्टॉफ एक समस्या है जिसमें यदि स्थानीय स्तर के लोगों को कार्य के लिए तैयार करें तो परियोजना के बाद उन्हें कार्य के अवसर उपलब्ध कराना संस्था के लिए चुनौती है।

❑ परियोजना :

- परियोजना के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ग के साथ कार्य करने पर बाकि समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती, प्रारंभिक स्तर पर परियोजना में सिर्फ महिलाओं के साथ कार्य किया गया पर बाद में जब महसूस हुआ कि समुदाय के अन्य लोग इससे जुड नहीं पाये हैं तो रणनीति में परिवर्तन कर समुदाय के अन्य वर्ग को भी परियोजना में शामिल किया गया।

- पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता और परियोजना क्षेत्र की दो पंचायतों में सरपंचों का ठीक से कार्य नहीं करना साथ ही करवाही में सरपंच का बार बार बदलने से पंचायत स्तर पर काफी कार्य नही हो पाये वहीं मेंडकी में महिला सरपंच है जो शराब पीकर पडी रहती है अतः कुछ कार्य नहीं हो पाये जो कि सरपंच की सक्रियता से हो सकते थे।

- नेटवर्क :

  - नेटवर्क परियोजनाएं एक ओर प्रभावी होती हैं वहीं दूसरी ओर कुछ प्रबंधकीय समस्याएं भी सामने आई जिससे कार्य प्रभावित हुआ।
  - परियोजना समन्वयक का अलग से कोई पद नहीं होने के कारण सी.डी.सी. समन्वयक द्वारा परियोजना क्रियांवयन में भी शामिल रहने से दोनों स्तर पर प्रभावी कार्य में असर पडा।
  - सहभागी संस्थाओं के समन्वयक द्वारा परियोजना क्षेत्र में अधिक समय नहीं देने से कार्य की प्राभाविकता कम हुई और ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी जिसमें परियोजना समन्वयक को अधिक समय देने के लिए बाध्य किया जा सके।
  - सहभागी संस्थाओं द्वारा अपनी ओर से संवाद स्थापित ना करना, इससे काफी समस्याएं सामने आयीं जिसका हल अंत तक नहीं निकल पाया एक तरफा संवाद से कोई लाभ नहीं था।
  - रिर्पोटिंग का कार्य समन्वय संस्था का ही है यह मानकार सहभागी संस्थाओं ने पर्याप्त जवाबदेही से कार्य नहीं किया, साथ ही समय सीमा का ध्यान ना रखना, सबसे अधिक वित्तीय प्रबंधन में समय सीमा का पालन ना करना और व्यवस्थित प्रक्रिया को ना अपनाना, पूरे नेटवर्क के कार्य को प्रभावित करता है।
  - परियोजना की गतिविधियों पर समझ नहीं बन पाने और संवाद कायम ना करने से क्रियांवयन में समस्याएं पैदा हुईं।
  - संस्था प्रमुख का अन्य कार्यों और परियोजनाओं में शामिल होने से परियोजना के लिए अधिक समय ना निकाल पाना।

- अन्य संस्थाएं :

  - परियोजना क्षेत्र में अन्य संस्थाएं शासकीय या अन्य परियोजनाओं के साथ कार्य करने से काफी कार्य प्रभावित हुए जैसे सी.डी.सी. के कार्यक्षेत्र में एक अन्य संस्था द्वारा कथित रूप से बैगाओं के साथ कुछ कार्य किया गया, जिससे संस्था ने जिन समूहों का गठन किया था वे बार बार टूटे, हालांकि कुछ समय बाद संस्था नजर नहीं आयी पर समुदाय में सी.डी.सी. के बारे में भी ऐसी धारणा बनी कि हम भी ऐसा ही करेंगे।
  - संस्था में कार्यरत स्टॉफ को प्रलोभन देना और अपनी संस्था में कार्य की पेशकश से भी परेशानियों का सामना करना पडा।

- शासकीय तंत्र /बैंक :

  - प्रारंभिक स्तर में शासकीय तंत्र जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भी नजरिया सकरात्मक नहीं था हालांकि बाद में सहयोगी वातावरण बना। पर चिंता का विषय यह है कि जनपद के शासकीय अधिकारी पंचायत और गॉवों को अपनी जायदाद समझने लगते हैं और संस्थाओं के कार्यों में रोडा पैदा करते हैं।
  - बैंक के कार्यक्षेत्र में कार्य के बावजूद बैंक समूहों को ऋण आदि देना पसंद नहीं करते वे सिर्फ शासकीय स्तर के कार्य को प्राथमिकता देते हैं।

- अन्य :

  - अन्य छोटी छोटी चुनौतियॉ सामने आयीं जिनका बाद में परियोजना के एक्सटेंशन के बाद कुछ हल निकल पाया। जैसे परियोजना क्षेत्र में कार्यालय के लिए संसाधन प्राप्त ना होना।
  - ग्राम स्तर पर कार्यकर्त्ताओं के भ्रमण के लिए वाहन आदि उपलब्ध ना होना।

परियोजना का आदर्श ग्राम : मेंडकी

परियोजना में मील प्रक्रिया को लागू करने के दौरान परियोजना के उद्देश्यों का सरलीकरण किया गया था जिसमें निकल कर आया था कि चारों परियोजना क्षेत्र में एक एक ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित होंगे जहॉ परियोजना के अधिकतम उद्देश्य उसके सूचकों के साथ दिखायी देंगे।

मील प्रशिक्षण के पश्चात संस्था की स्टॉफ बैठक में काफी विचार विमर्श के पश्चात तय हुआ कि संस्था ग्राम मेंडकी को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगी। साढ़े तीन वर्ष के सघन हस्तक्षेप के पश्चात आज ग्राम मेंडकी आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित हुआ है जहॉ विकास की गति तेज हुई जिसमें पूरा ग्राम समुदाय भागीदार बन रहा है। ग्राम में गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पास अपने अनुभव बताने को काफी कुछ है।

संस्था ने इसके लिए विभिन्न स्तर पर हस्तक्षेप किया और परियोजना स्टॉफ ग्राम की महिलाओं और पुरूषों के साथ लडाईयॉ लडी जिसका परिणाम है आज दिखायी दे रहा है। ग्राम मेंडकी ना सिर्फ आसपास के गॉवों में बल्कि जिले स्तर पर पहचान बना चुका है। इस ग्राम में विगत 28 फरवरी 2008 को जिला कलेक्टर श्री गुलशन बामरा ने कृषक क्लब का उदघाटन किया और महिलाओं ने कलेक्टर महोदय से सीधे बातचीत की, अपनी अन्य समस्याओं से अवगत कराया। गॉव की महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उन्हें जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हों, बैंक के मेनेजर हों या और कोई बडा अधिकारी बात करने में डर नहीं लगता वे बेझिझक अपनी बात रखती हैं।

ग्राम मेंडकी एक नजर में

ग्राम की जनसंख्या : 1281
कुल परिवार : 279
ग्राम में गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या 11
प्रथम ग्रेडिंग और आर. एफ. प्राप्त समूहों की संख्या : 08 और प्राप्त आर.एफ. 10000 प्रति समूह
द्वितीय ग्रेडिंग और मेन लोन प्राप्त समूहों की संख्या : 04 और प्राप्त लोन राशि 5 लाख
समूह द्वारा प्रारंभ किया गया व्यवसाय : बकरी पालन, भैंस पालन आदि
ग्राम में बी.पी.एल. परिवार : 135
स्वयं सहायता समूहों से जुड चुके बी.पी.एल. परिवारों की संख्या : 98
तारा अक्षर से साक्षर महिलाओं की संख्या : 132

सेंट्रल बैंक द्वारा ग्राम को गोद लिया गया : वर्ष 2006 में संस्था के कार्यकर्त्ताओं के साथ सेंट्रल बैंक शाखा बैहर के शाखा प्रबंधक ने भ्रमण किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की उनके समूहों के दस्तावेजों को देखा तो वे काफी प्रभावित हुए और संस्था के साथ चर्चा करने के पश्चात ग्राम को गोद लेने का प्रस्ताव रखा और अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा के पश्चात ग्राम को बैंक ने गोद लिया और सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ग्राम के समस्त परिवार बैंक से जुडें।

अगस्त 2007 में नाबार्ड के जिला प्रबंधक, सेंट्रल बैंक के जिला प्रबंधक, बैहर विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एस.जी.एस.वाय के विकासखंड अधिकारी, सी.डी.सी. निदेशक और अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि अर्थात लगभग 15 लोगों का एक समूह ग्राम के स्वयं सहायता समूहों के अवलोकन के लिए ग्राम मेंडकी आए, ग्राम की महिलाओं और अन्य ग्रामवासियों के साथ लगभग तीन घ्ंटे चर्चा की और कृषक क्लब के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की, इसी दिन जय मॉ दुर्गे के नाम से एक कृषक क्लब का गठन किया गया और प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया जिसकी स्वीकृति फरवरी 2007 को प्राप्त हुई और इसी माह 28 फरवरी को मान. जिला कलेक्टर द्वारा क्लब का उद्घाटन किया गया।

इस तरह कभी यह गॉव और गॉववासी बिना किसी पहचान के एक सामान्य गॉव की तरह हुआ करते थे, महिलाओं के छोटे छोटे समूहों की वजह से गॉव और गॉववासियों को एक पहचान प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से ग्राम मेंडकी एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित हुआ है जहॉ सामूदायिक विकास के काफी संकेत दिखायी देने लगे हैं।

वास्तविक आर्दश की ओर इस गॉव का सफर अभी जारी है!!!

ग्राम में गठित स्वयं सहायता समूहों का विवरण

SN	Name of SHG	Year of Formation	Regis. No.	President	Secretary
1	Ma Laxmi	2004	583	Manisha Parte	Pramila Khare
2	Durga	2005	581	Sukhwaro	Leela Panchtilak
3	Sharda	2004	588		
4	Godawari	2004	587	Dropti	Munnibai
5	Jwalamaa	2005	590	Ramli Uikey	
6	Krishna	2004	581		
7	Ganga	2005	589		
8	Jai Maa Sita	2005	584	Sulan Tekam	Nainkunwar
9	Vishakha	2005	693		
10	Jai Seva	2004	780	Kala Uikey	Krishna
11	Mahamaya Devi	2004	591	Ramli	Lalita

Development of Partner organization सहभागी संस्थाओं का संस्थागत विकास

परियोजना के एक प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत यह भी था कि सहभागी संस्थाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना जिससे संस्थाएं आगे भी सतत रूप से कार्य कर सकें। पेक्स परियोजना की ओर से काफी क्षमतावृद्धि प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें सहभागी संस्थाओं ने भाग लिया जिसका लाभ संस्थाओं को प्राप्त हो रहा है।

सी.डी.सी. की ओर से भी सहभागी संस्थाओं को विभिन्न पहलुओं पर क्षमतावृद्धि हेतु सहयोग प्रदान किया गया जिसका लाभ आज संस्थाएं ले रही हैं। संस्था ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया जिसमें वैचारिक विकास, प्रबंधकीय क्षमता विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन परियोजना निर्माण, लिंकेज और दस्तावेजीकरण जैसे आधारभूत विषयों पर संस्था की ओर से सहभागी संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया गया।

सी.डी.सी. द्वारा सहभागी संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये सहयोग

	एस.एम.एस.	नवजीवन	जी.व्ही.एम.
परियोजना पूर्व स्थिति	▪ संस्था ने कभी किसी सामाजिक कार्य या परियोजना संचालन नहीं किया था और ना ही जानकारी थी। ▪ अन्य संस्थाओं से किसी तरह का संपर्क भी नहीं था। ▪ कमजोर संस्थागत प्रबंधन ▪ सिर्फ स्कूलों के संचालन का अनुभव	▪ कमजोर संस्थागत प्रबंधन ▪ संस्थागत कार्य की निरंतरता में कमी	▪ संस्था ने कभी किसी सामाजिक कार्य या परियोजना संचालन नहीं किया था और ना ही जानकारी थी। ▪ कमजोर संस्थागत प्रबंधन ▪ संपर्क की कमी
परियोजना अवधि में प्राप्त सहयोग	▪ परियोजना कियांवयन के प्रत्येक पहलुओं पर छोटी छोटी जानकारियॉ निरंतर चर्चाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी। ▪ परियोजना प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराये गये। प्रतिवेदन दस्तावेजीकरण, कार्ययोजना निर्माण पर क्षमता विकास ▪ मुद्दों की पहचान और हस्तक्षेप की रणनीति ▪ लेखा और मानव संसाधन प्रबंधन के तरीकों पर जानकारी ▪ स्कूल के लिए शिक्षकों की व्यवस्था और प्रशिक्षण ▪ अन्य संस्थाओं से संपर्क, प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराये गये। ▪ एस.जी.एस.वाय और बिरला सन लाईफ के साथ अनुबंध कराने में प्रमुख भूमिका ▪ जिला स्तरीय नेटवर्क में प्रमुख भूमिका ▪ स्टॉफ बैठकों के संचालन की प्रक्रिया	▪ कार्यों का दस्तावेजीकरण और विश्लेषण प्रक्रिया में मार्गदर्शन ▪ स्टॉफ के साथ सहभागी नियोजन प्रक्रिया	▪ टाटा ट्रस्ट की परियोजना में सहभागी संस्था के रूप में अवसर। ▪ परियोजना प्रस्ताव निर्माण। ▪ संस्था के वित्तीय लेखा प्रबंधन में प्रमुख सहयोग

परियोजना अवधि में सभी सहयोगी संस्थाओं को सी.डी.सी. की ओर से सतत सहयोग उपलब्ध कराया गया जिससे आज की स्थिति में सभी संस्थाएं अपनी संस्थागत गतिविधियॉ आगे बढ़ाने में सक्षम हैं।

तारा अक्षर TARA Akshar

संस्था प्रमुख ने दिल्ली में आयोजित नेशनल कांफ्रेस में तारा अक्षर कार्यक्रम को देखा और उसी समय से प्रयास प्रारंभ किया, कि यदि इस कार्यक्रम को समूह की महिलाओं के लिए संचालित किया जाये तो अशिक्षा की वजह से समूहों द्वारा झेली जाने वाली समस्याएं दूर होंगी और महिलाएं अपने समूहों को बेहतर तरीके से संचालित कर पायेंगी। संस्था ने आर.ओ. और राज्य प्रबंधक पेक्स से इस विषय पर चर्चाएं की और संभावनाओं की तलाश की। पेक्स के स्तर पर भी इस पर चिंतन हुआ और संस्था जो चाहती थी पेक्स के अंतर्गत नियोजित हुआ। पेक्स की ओर सभी सहभागी संस्थाओं के साथ तारा अक्षर कार्यक्रम लागू करना प्रारंभ किया।

परियोजना में ताराअक्षर क्रियांवयन के चरण

- तारा अक्षर कार्यक्रम की जिम्मेदारी नवजीवन समाज विकास समिति को दी गयी और उनकी ओर से मास्टर ट्रेनर का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, तत्पश्चात मास्टर ट्रेनर को आगे का कार्य करना था, पर अगले चरण के प्रशिक्षण में नवजीवन की ओर से चयनित व्यक्ति को नहीं भेजा जा सका। इस तरह तारा अक्षर की प्रक्रिया प्रारंभ होने में 6 माह विलंब हुआ।
- इसके पश्चात सी.डी.सी. ने प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया और मास्टर ट्रेनर का चयन कर सहभागी संस्थाओं को इंस्ट्रक्टर चयन की जिम्मेदारी दी।
- सहभागी संस्थाओं की ओर से चयनित इंसट्रक्टर इस प्रकार रहे एस.एम.एस. 0, जी.व्ही.एम. 01, नवजीवन 02, और सी.डी.सी. 02 और 02 क्वालिटी कंट्रोलर
- प्राथमिक रूप से परियोजना को 5 तारा अक्षर केंद्र संचालन की सहमति डी.ए. द्वारा दी गयी, और परियोजना द्वारा चयनित ताराअक्षर स्टॉफ को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, किसी आकस्मिक स्थिति के कारण हमें चार अतिरिक्त केंद्र अर्थात कुल 9 केंद्रों के संचालन की सहमति दी गयी और सी.डी.सी. को तुरंत चार अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने को कहा गया।
- संस्था के स्टॉफ ने काफी मेहनत से चार अतिरिक्त व्यक्तियों को चयनित किया और प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेजा इस तरह कुल 12 लोगों की टीम ताराअक्षर के लिए तैयार हुई
- जुलाई 2007 से ताराअक्षर केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसमें केंद्रों का विभाजन निम्न रूप में हुआ, नवजीवन 02, जी.व्ही.एम. 01, एस.एम.एस. 03 और सी.डी.सी. 03
- प्रथम माह में सभी केंद्र उचित रीति से संचालित हुए पर दूसरे माह में नवजीवन के अन्य स्टॉफ द्वारा प्राप्त लेपटाप का दुरूपयोग करना प्रारंभ होने से उन्हें सुझाव दिया गया कि ऐसा ना करें और सिर्फ केंद्र के संचालन में सहायता प्रदान करें।

- कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा नवजीवन के परियोजना क्षेत्र में कुछ समस्याएं पैदा होती गयी जिससे केंद्रों को सतत संचालित करना संभव नहीं था, नवजीवन संस्था प्रमुख का रूझान भी परियोजना में नहीं दिखायी दिया उनकी ओर से कभी एक बार भी केंद्र का भ्रमण नहीं किया गया इन सारी परिस्थतियों को देखते हुए उनके दोनों केंद्रों को एस.एम.एस. के परियोजना क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।
- पॉचवे चरण में जी.वी.एम. के परियोजना क्षेत्र में एक और केंद्र प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम में सबसे निराशाजनक पहलु था सहभागी संस्थाओं के प्रमुख जो परियोजना के क्रियांवयन में शामिल रहें उन्होंने कार्यक्रम की गंभीरता को नहीं समझा और प्रभावी क्रियांवयन में सहयोग नहीं किया और ना ही कभी केंद्रों का भ्रमण किया।

Panchyat Level Monitoring Committee for NREGA

SN	Name	Caste	Age	Edu	Village	Panchayat
1	Kamla Thakre	Marar	26	10th	Mararitola	Karwahi
2	Sugni Markam	Gond	37	Literate	Buddhutola	Karwahi
3	Geeta Dhurve	Gond	38	5th	Sarekha	Karwahi
4	Sumarkali Pandre	Gond	35	8th	Sarekha	Karwahi
5	Sushila Sonwane	Kahar	23	8th	Barwahi	Karwahi
6	Dropti Bai	Gond	45	Literate	Barwahi	Karwahi
7	Sukwaro Vishwakarma	Lohar	36	5th	Mendki	Mendki
8	Laxmi Baheshwar	Marar	32	5th	Debarbeli	Mendki
9	Sammelal Maneshwar	Marar	35	8th	Devarbeli	Mendki
10	Sulan Bai Tekam	Gond	40	5th	Chartola	Mendki
11	Lalchand Bisen	Pawar	28	12th	Mararitola	Karwahi
12	Shashikala Pandre	Gond	27	Literate	Barwahi	Karwahi
13	Ambika Marshkole	Gond	24	8th	Baigatola	Karwahi
14	Seema Parte	Baiga	26	Literate	Baigatola	Karwahi
15	Maheshwari Goswami	Gosai	32	5th	Heerapur	Parsatola
16	Chameli Meravi	Gond	26	10th	Gogatola	Parsatola
17	Surmila Thakre	Pawar	26	10th	Gogatola	Parsatola
18	Kiran Ganveer	Mahar	30	5th	Heerapur	Parsatola
19	Shivram Meravi	Gond	28	8th	Parsatola	Parsatola
20	Darshan Singh Dhurve	Gond	34	5th	Heerapur	Parsatola

Training on Joint Forest Management

SN	Name	Caste	Age	Edu	Village	Panchayat
1	Chainlal Baheshwar	Marar	38	5th	Mendki	Mendki
2	Sukhlal Gatheshwar	Marar	55		Mendki	Mendki
3	Ganesh Uikey	Gond	37	11th	Heerapur	Parsatola
4	Surtana Parte	Gond	56	literate	Mendki	Mendki
5	Kanhaiyya Lal	Gond	42	11th	Sarekha	Karwahi
6	Baisakhin Bai	Gond	36	Literate	Ramatola	Parsatola
7	Banshilal Tilgam	Gond	45	10th	Baigatola	Karwahi
8	Intlal Bisen	Pawar	47	5th	Barwahi	Karwahi
9	Durgaprasad Pusham	Gond	30	5th	Barwahi	Karwahi
10	Suraj Singh	Gond	35	Literate	Mararitola	Karwahi
11	Ammilal	Gond	38	Literate	Barwahi	Karwahi
12	Jaivanti Kawre	Marar	55	Literate	Sarekha	Karwahi
13	Kehar Singh	Gond	35	5th	Sarekha	Karwahi
14	Sanjay Bisen	Pawar	26	BA	Gogatola	Parsatola
15	Khemraj Bisen	Pawar	32	8th	Gogatola	Parsatola
16	Pramila Pardhi	Pawar	34	5th	Gogatola	Parsatola
17	Bajarisingh Dhurve	Gond	45	Literate	Mendki	Mendki
18	Krishnalal Pancheshwar	Marar	50	8th	Mendki	Mendki
19	Amritlal Matre	Marar	33	10th	Mendki	Mendki
20	Kapura Bai Dhurve	Gond	36	Literate	Mendki	Mendki
21	Punaram Gadeshwar	Marar	35	8th	Mednki	Mendki

annexure

परियोजना क्षेत्र में संस्था द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों का विवरण

क.	ग्राम	समूह का नाम	कुल सदस्य	समूह की कुल बचत राशि					GRADE
				बैंक में	व्यवसाय में	पेटी में	ऋण	कुल	
1	Hirapur	Tara	13	2750	0	1100	930	4780	4
2	Hirapur	Chandni	10	2500	0	740	3100	6340	4
3	Hirapur	Ragini	10	2150	0	500	1700	4350	4
4	Ramatola	Mahila Jagriti	10	1597	0	480	985	3062	3
5	Parsatola	Gouri	10	2268	0	370	0	2638	3
6	Ramatola	Durgawati	12	3852	0	40	1400	5292	3
7	Gogatola	Sarawati	12	3445	2000	600	600	6645	3
8	Buddhutola	Laxmi	12	1000	0	600	9600	11200	4
9	Mararitola	Durge Maa	11	1000	0	1780	6400	9180	4
10	Mararitola	Mahakoushal	10	6666	0	810	600	8076	4
11	Mararitola	Sarawati	10	0	0	670	0	670	2
12	Barwahi	Kiran	11	4042	0	472	1300	5814	3
13	Barwahi	Shikha	11	1975	0	540	2340	4855	4
14	Barwahi	Madhu	10	1326	0	370	2000	3696	4
15	Barwahi	Vaibhav	10	1288	0	570	325	2183	3
16	Barwahi	Anjani	11	939	2000	390	550	3879	3
17	Sarekha	Jai Bada Dev	13	1450	0	1360	0	2810	3
18	Sarekha	Shri Sai	12	900	0	560	0	1460	2
19	Baigatola	Sharda	10	1060	0	230	0	1290	2
20	Mendki	Mahamaya	10	2000	0	0	0	2000	2
21	Mendki	Durga	15	2500	11000	1000	0	14500	4
22	Mendki	Maa Laxmi	14	1676	0	3000	4500	9176	3
23	Mendki	Sagar	10	2300	0	1300	2000	5600	4
24	Mendki	Sharda	10	2300	0	500	0	2800	2
25	Mendki	Jwalamaa	10	0	0	370	3000	3370	2
26	Mendki	Godawari	16	0	0	1548	0	1548	2
27	Debarbeli	Krishna	10	2500	0	500	0	3000	2
28	Debarbeli	Ganga	11	2000	0	0	0	2000	2
29	Chartola	Jai Maa Sita	10	2930	0	1170	350	4450	3
30	Chartola	Jai Seva	10	750	0	3900	300	4950	3
31	Chartola	Vishakha	10	750	0	2685	0	3435	3

रंग बदलता आसमान

बालाघाट जिले में बैहर आदिवासी बहुल विकासखंड है, विकासखंड मुख्यालय से 18 कि.मी की दूरी पर मेंडकी ग्राम स्थित है। पेक्स परियोजना के अतंर्गत कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर ने वर्ष 2004 से इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। ग्राम मेंडकी जिसकी जनसंख्या 1300 है। जिसमें 171 परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। मुख्यतः गोंड आदिवासी और मरार जाति के लोग यहॉ निवास करते हैं जो अपनी थोडी सी कृषि भूमि में कृषि कार्य, कृषि मजदूरी से जीवन यापन करते हैं कुछ समय के लिए परिवार के किसी ना किसी सदस्य को पलायन भी करना पडता है। ऐसा क्षेत्र जहॉ कभी सामूहिक रूप से कार्य करने की सोच ही नहीं रही हो। महिलाओं में किसी ने कोई संभावना ही नहीं देखी हो और स्वयं महिलाओं ने भी नहीं सोचा हो कि वे परिवार के किसी निर्णय में भागीदार हो सकती हैं, इस गॉव में संस्था ने महिलाओं के 07 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। जब समूहों का गठन किया गया उस समय परिवार के सदस्य महिलाओं की हंसी उडाते और हतोत्साहित करते कि, क्या होगा कुछ दिन समूह चलेगा और टूट जायेगा क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो घर और खेती का काम करो।

मेंडकी मुख्य गॉव का एक टोला जिसे नयाटोला कहा जाता है इस टोले में बसने वाले सभी 20 परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसमें 17 पिछडे वर्ग और 03 परिवार दलित वर्ग से हैं। इन सभी परिवारों की महिलाओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि वे कभी एक साथ बैठकर अपने और परिवार के बारे में कुछ सोच पायेंगी या कुछ कर पायेंगी। इन महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य में 10 रू. की मासिक बचत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 03 दिसंबर 2004 को महिलाओं के समूह ने विधिवत समूह का स्वरूप लिया और समूह का गठन कर समूह के नियम आदि बनाये गये। धीरे धीरे प्रतिमाह की बैठक और बचत महिलाओं के जीवन का हिस्सा बनने लगी। महिलाओं ने इस बीच बैंक, अस्पताल और पंचायत के दफतर भी देखे और इनकी कार्यप्रणालियों को समझने का प्रयास भी किया।

मार्च 2005 में जब संस्था से 2000 रूपये की चक्रीय राशि समूह को प्राप्त हुई तो तीन माह तक तो समूह ने इन पैसों का कुछ नहीं किया राशि बैंक में ही जमा रही। वजह थी जब तक समूह के सभी सदस्य किसी काम के लिए एक मत नहीं हो जाते पैसों का उपयोग नहीं किया जावेगा। अंततः महिलाओं ने तय किया कि सुअर पालन किया जावे,

सुअर खरीदने के लिए घर के पुरूषों से मदद ली गयी और 2000 रू. के तीन सुअर खरीदे गये। समूह को झटका लगा जब पहले ही दिन एक सुअर मर गया, समूह में आपसी द्वंद शुरू हो गया कि यदि ये सुअर मर गये तो हम आर.एफ. की राशि कहॉ से वापस करेंगे। लेकिन समूह की अध्यक्ष ने हिम्मत बंधाते हुए कहा कि ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा हम आगे कुछ कर नहीं पायेंगे। अतः समूह ने एक साल तक सुअर पालन किया, उस

समय तक इनकी संख्या 13 हो गयी थी, लेकिन एक नयी समस्या आडे आ रही थी, सुअर खेतों में जाकर फसल खराब कर रहे थे। जिससे उनसे लडाई होने लगी जिनकी फसलें बर्बाद हो रहीं थी। जुलाई 2006 में समूह ने निर्णय लिया कि सुअर को बेच देते हैं और बकरी खरीद लेते हैं बकरियों का रखरखाव आसान है अतः सुअर बेचकर 05 बकरियॉ खरीदी गयीं। लगभग एक वर्ष में समूह के पास 13 बकरियॉ हो गयी। इन 13 बकरियों में से दो बकरियों के बच्चों को जून 2007 में 2800 रू. में बेचकर आर.एफ. की राशि रू. 2000 अपने फेडरेशन में जमा कर दिया। समूह की निरंतर बढ़ती हुई क्षमता को देखते हुए समूह को एस.जी.एस.वाय. से जोडा गया जिसके फलस्वरूप प्रथम ग्रेडिंग के बाद समूह की लिमिट बनी, जुलाई 2007 में पहली किश्त 5000रू. समूह को प्राप्त हुए। इस राशि के उपयोग पर महिलाओं ने सोचा कि क्या रोजगार हम करें जो गॉव के लोगों की मांग पर आधारित हो अतः महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना स्पीकर सिस्टम खरीदा जाये क्योंकि किसी भी सामाजिक और धार्मिक समारोह में लोग बाहर से किराये पर लाते हैं।

समूह की पिछले तीन वर्ष की बचत से 5000 रू. मिलाकर साउंड सिस्टम खरीदा गया, पर समूह की एक और आवश्यकता थी बैंड बाजे की जिसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। महिलाओं ने अपने समूह की बैठक में निर्णय लिया कि अपने अपने परिवार में इसकी चर्चा करते हैं और उनसे सहयोग लेते हैं। परिवार में चर्चा करने पर परिवार के सदस्यों ने उन्हें कहा कि अपने समूह में बैठकर निर्णय लो जो तुम्हारा समूह कहेगा वह सभी करेंगे। इस पर समूह ने बैठक कर तय किया कि सभी महिलाएं अपने परिवार से 500 रू. लेंगी और इस तरह 7000रू. जमा हो गये

और महिलाओं ने बैंड बाजे का सैट भी खरीद लिया। महिलाओं ने अपने द्यर के युवा बच्चों को बैंड बाजा बजाना सीखने को कहा है जिससे उन्हें रोजगार की तलाश में बाहर ना जाना पडे। 1 अगस्त 2007 को समूह ने अपने सामान का उदद्याटन किया और गॉव के सभी लोगों को बुलाकर अपनी सामग्री दिखायी। समूह को तुरंत ही काम मिला रामायण मंडली में अपना सेट लगा कर 600 रूपये की पहली कमाई की।

आज समूह की सभी महिलाएं कॉफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की आय के स्रोत को सुनिश्चित करने में सहयोग किया, उनके पास बचत राशि भी है, बकरियों के रूप में लगभग 13 हजार रूपये हैं, स्पीकर और बैंड बाजे के रूप में संसाधन भी हैं। सबसे बडी और महत्वपूर्ण बात है **परिवार का कोई भी निर्णय इन महिलाओं से पूछे बगैर नहीं होता। परिवार के वे सदस्य जो कभी महिलाओं को समूह में बैठने पर ताने देते थे आज बैठक के समय की याद दिलाते हैं।**

Training on Joint Forest Management *Annexure*

संयुक्त वन प्रबंधन पर प्रशिक्षण

दिनाक 24 /11/07 को समय 9.30 बजे प्रशिक्षण सत्र की शुरूआत प्रार्थना गीत इतनी शक्ति हमें देना द्वारा किया गया इसके बाद 23/05/ 2007 का प्रतिवेदन दारासिह द्वारा पढ़कर सुनाया गया इसके बाद 24/05/2007 की रिपोटिंग की जिम्मेदारी सुशीला, कान्ता और जमुना को दी गई तत्पश्चात सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की स्पष्टता बनाने के लिए चार ग्रुपो की तुलना कर स्पष्ट किया गया और वनों की बात को लेकर कहा गया कि हम वनों की की बात क्यों कर रहे हैं। वनों से लोगों की आजीविका जुड़ी है सत्य प्रकाश जी द्वारा बताया गया। हम क्यों काम कर रहे है ! लोगों को अधिकार मिल सके। इसके बाद पुनः तीन ग्रुप बनाकर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का प्रदर्शन किया गया। तथा सत्य प्रकाश जी द्वारा कहा गया कि ये सब हम चीजों की जानकारी हमें क्यों आवश्यक है । तभी झारिया जी ने बताया की जिस बात की हमें कोई जानकारी न हो किसी बात का नालेज नही रहेगा तो आगे वालो से कैसे बात कर सकते है। सत्य प्रकाश जी द्वारा कहा गया की हम जब तक वन ग्राम की पूरी परिस्थती की परिकल्पना करेंगे तभी उसके बाद माइक्रोप्लान बनेगा ।

ग्रुप चर्चा से पहले वन विभाग से आये कर्मचारी श्री पालीवाल जी का परिचय कराया गया। इसके बाद महेश्वर जी द्वारा ग्राम वन समिति का चार्ट पढ़कर सुनाया गया इसमें जन जागरूकता पर चार्ट के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया जैसे :– दिवार लेखन, प्रशिक्षण आदि। पालीवाल जी ने बताया कि विभाग में एक प्लान बनता है, जिसका नाम है वर्किंग प्लान इसका मतलब है कि हमारे एरिया में कितना काम होने वाला है यह देखना पड़ता है। ग्राम वन सामिति और वन सुरक्षा समिति को कोई रायल्टी नहीं दी जाती है यही पालीवाल जी ने बताया।

पारस द्वारा पुछा गया कि हमें माइक्रोप्लान बनाना है तो क्या करना होगा ! पालीवाल जी ने बताया जी ने बताया वर्कीग प्लान बनाने के लिए आपको रेंज आफिस से मिलना होगा तभी वर्कीग प्लान किया जा सकता है। झारिया जी द्वारा पुछा गया की क्या एन.जी. ओ. वृक्षारोपण नही कर सकता वन विभाग को लेकर पालीवाल जी कहना था कि कर सकता है। समिति पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जहां पर लोग संक्षम हो वहा समिति बन सकती है।

पालेवाल जी ने एक फारेस्ट गार्ड के बारे में बताया की फारेस्ट गार्ड जलाउ लकड़ी ले जा रहा थ तभी वन समिति वालो ने एसे कैसा पकड़ा और हम रोक न सके न क्योकि इसमें फारेस्ट गार्ड की गलती है। आगे यह भी बताया गया कि सूचना का अधिकार नियम लगाकर आप किसी भी प्रकार से वन विभाग की जानकारी ले सकते है । दो लाख ऑवला के पेड़ बॉटना है बालाघाट जिले में जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसे और अनुसूचित जाति , अ.ज.जा. और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो को दिया जायेगा यह बताया गया। इस तरह से पालीवाल जी व संस्था के सभी सहयोगी कार्यकर्त्ता से अपने कार्य क्षेत्र के मुददे का आदान प्रदान अन्य जानकारी के विषय में हुआ । तत्पश्चात सपना एवं संस्था द्वारा पालेवार जी को धन्यवाद दिया गया। एवं पालेवार जी को दूसरे दिन के बैठक में आने के लिए अपेक्षा की गई।

2 बजे भोजन अवकाश के बाद 3 बजे से इसी सत्र का दूसरा भाग गीत से प्रारंभ किया गया। मुरली जी द्वारा कहा गया की जो आपने माइक्रो प्लान का प्रजेन्टेशन दिया है वही सही है तथा माइक्रो प्लान बनाते समय हमें यह देखना है कि किसी एक्ट की उलघंन तो नही हो रहा है ।

सत्या जी द्वारा बताया गया की ग्राम सभा आयोजित की जायेगी ग्राम सभा की बैठक में ग्रम वन सुरक्षा समिति की नियुक्ति होगी ऐसा भी ऐजेण्डा रखा जा सकता है । जे.एफ.एम. का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है कार्यकारिणी के सदस्य ज्यादा से ज्यादा 21 या कम से 11 होगें । कार्यकारणी की सचिव फारेस्ट गार्ड होगा । दो साल तक यह सचिव चुना जा सकता है अगर यह सचिव उस लायक होता है, तभी उसको सचिव भी बना जा सकता है, तथा कार्यकारणी सदस्य के लिए पद महिला आरिक्षित होगी क्षेत्र का निर्धारण डी.एफ. ओं. करता है।

उसके बाद पुस्तक पढ़ने को दिया गया। जिसमें वन विभाग की जानकारी तथा नियम का उल्लेख दिया गया है । मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 22 अक्टूम्बर 2001 वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह उल्लेख किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाए, इसी तरह से पुस्तक को बारी'–बारी से कार्यकर्त्ताओ को पढ़ने के लिए दिया गया । तत्पश्चात मुरली द्वारा चार माह की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया चार्ट में तथा सभी पाटनर अपने– अपने कार्यकर्त्ताओ के साथ चार माह का एक्शन प्लान (कार्ययोजना) तैयार किये, इसके बाद समय 5 बजे इस सत्र की समापन किया गया।

दिनांक 25/05/07 को सत्र की शुरूआत हे मालिक तेरे बन्दे हम से किया गई इसके पश्चात जमुना द्वारा पहले दिन का रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया । इसके बाद नवजीवन समिति द्वारा 3 पंचायत 10 गांव की आगामी 4 माह की कार्ययोजना जे.एफ. एम. पर किया गया जिसमें संचार सुविधा हेतु पैक्स कार्यक्रम के सहयोग से प्रदान किये गये अवसरों को शामिल कर अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाया जाये तथा सत्यप्रकाश जी द्वारा नन्दाजी से प्रश्न किया इससे क्या होगा ? ग्राम सभा में मिनिटस कैसे शामिल करवायेगें या एन.टी.एफ.पी. के वैज्ञानिक पघति से दोहन में क्या प्रभाव पड़ेगा ! क्या चीज बदल जायेगी । तब नन्दा जी ने कहा हां जरूर बदलाव आयेगा । इसके पश्चात अमीन जी द्वारा कहां गया वन से जुड़े मुददे समूहो की बैठक में तथा महिला संघ की बैठको में मुददे शामिल किया जाय और किसे प्रशिक्षण देना है। वन समिति को या एस.एच. जी. के सदस्यों इसमें वन समितियां अलग हो जायेगी इसलिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षण में शामिल करें । इसके बाद सत्यप्रकाश जी द्वारा रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा किया मूल्याकंन किस तरह करेगे। मानव विकास सूचकांक , अन्तर्राज्जीय मानव विकास सूचकांक विकास की स्थिति को जानने के सूचकांक पर चर्चा किया ।

भोजन अवकाश के बाद रिपोर्ट कार्ड जहां पर जिसे समझ नहीं आया कैसे मूल्याकंन फार्मेट भरना है। किन चीजों को शामिल करना है यह स्पष्ट रूप से बताया गया। इसके पश्चात मुरली जी फिल्ड स्तर पर क्या करें, विधि कुछ भी हो सकती है।

भोजन पश्चात पूर्व में हुई बातो का दोहराव करते हुए कहा की इस एक्ट के बारे में जानने की आवश्यकता है या नही यदि है तो इसके जानने से क्या फायदा है इस पर प्रतिभागियों ने बताया कि एक एक्ट के बारे में समझना आवश्यक है, क्योकि हमारे गांव में वन समिति बनाई गई :–

- वन समिति के नियोजन होने पर संसाधन का बेहतर उपयोग होना
- देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाने
- संयुक्त वन प्रबंधन क्या है एवं वन की धारा के बारे समझ बनी
- आने वाले पीढ़ी को लाभ होगा
- वन समिति को अपने अधिकार के बारे मालूम होगा प्रक्रिया में सुधार होगा ।
- तीनो समिति में संविधान नही है अगर कोई समुदाय चाहता है कि समिति में बदलाव लाया जाये तो लाया जा सकता है।

समिति के अंतर पर बात करते हुए पहले ग्रम वन समिति के बारे में निम्न बिंदु बताया गया ।

- R.F,P.F.वनो का धनत्व 40 प्रतिशत से कम है वहां ये समिति बनेगी ।
- सभी समिति में 11 कार्याकारिणी सदस्य होते है एवं ग्राम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति सदस्य होते है।
- बिगड़े वनो के सुधार हेतु।
- कम्पॉर्टमेंट का निर्धारण आपस में बैठक कर तय किया जा सकता है।

इसके बाद प्रतिभागीयों के चार समूह बनाकर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन करने को कहा गया जिसका प्रदर्शन 24/05/2007 को करने कहा गया और उसके साथ ही पहले दिन का सत्र समाप्त किया गया ।

- E.D.C. जैव विविधता को सुरक्षित संभालने में सहायक होगी भारत में बायो स्पेयर ई.डी.सी. है म.प्र. में अमरकटंक और पचमढ़ी है जैव विविधता वनस्पति एवं वन्य जीव को सुरक्षित रखने।
- वन सुरक्षा समिति–यह समिति 40 प्रतिशत से अधिक घनत्व वाले वन क्षेत्र में बनाई जाती है यह समिति मुख्य रूप से अवैध चराई, चोरी , अपराधी को पकड़वाने जैसे कार्य करती है जिसके बदले में वह जलाउ लकड़ी उपयोग कर सकते है ।
- ग्राम वन समिति – 40 प्रतिशत से कम घनत्व वाले क्षेत्र में ग्राम वन समिति बनाई जाती है जिसमें बिगड़े वनो को सुधारने के लिए कार्य करती है ।

सत्यप्रकाश जी द्वारा कहा गया कि हम सामाजिक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहे है, प्रतिभागी के बीच में नियोजन शब्द की स्पष्टता के लिये नियोजन की आवश्यकता क्यों है, पर विस्तृत चर्चा करते हुये प्रतिभागी से मिलकर आया कि कार्य को

- व्यस्थित करने के लिए
- अपेक्षित परिणाम के लिए
- संसाधन का समुचित उपयोग
- हमारे कार्य क्रम बध्ध चलते रहे
- कार्यो के पडावो का संकेत मिलता रहे
- लागत खर्च का पता चल पाये
- दिशा /निर्देश संकेत
- कार्य समय सीमा पर होना
- लक्ष्य प्राप्ति के लिए

सूक्ष्म नियोजन की आवश्यक बातें

- परिस्थिति का आंकलन
- वन समस्या का आंकन
- समस्या की प्राथमिकता तय करना
- अवसर का आंकलन
- चुनौतियों का आंकलन

Annexure

संयुक्त वन प्रबंधन पर अभिमुखीकरण कार्यशाला
दिनांक 09/06/07
स्थान – क्षेत्रीय कार्यलय भण्डेरी

कार्यशाला की शुरूआत गीत – इतनी शक्ति हमें देना दाता से की गई कार्यशाला में उपस्थित तीनो पंचायतो मेण्डकी, करवाही और परसाटोला से आये वन समिति के सदस्यों द्वारा अपना –अपना परिचय दिया गया। परिचय के बाद बताया गया कि संस्था द्वारा भण्डेरी क्षेत्र में किस प्रकार के कार्यो का संचालन किया जा रहा है। पैक्स कार्यकम द्वारा विगत तीन वर्षो से परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है । जिसमे महिला सशक्तिकरण एवं आजिविका के मुददे पर संवेदनशीलता लाने हेतु निरतंर प्रयास किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उददेश्य वनो के संरक्षण एवं विकास हेतु स्थानीय प्रयास एवं अनुभवो का आदान –प्रदान करने लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 1 जून 1990 को भारत सरकार ने आदिवासी एवं ग्रामीणो का वन उत्पाद पर पहला अधिकार बताया गया। चर्चा के दौरान बताया गया कि जब इन उत्पादो पर हमारा पहला अधिकार है तो इनके प्राप्ति के स्त्रोतो को बचान एवं बढ़ाने का पहला अधिकार भी हमारा है । लेकिन शासन के इन प्रयासो में हम कहा तक सफल हुए वनों को बचाने एवं विकास एवं विकास के लिए शासन द्वारा एक नई नीति वन समिति के गठन के रूप में जनता के सामने लाई गई, प्रचलित वन प्रबंधन के तीन क्षेत्रों के बारे में बताया गया।

1 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण वन क्षेत्र – जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से
2 सघन वन क्षेत्र – वानिकी कार्य एवं वन उत्पाद के लिए
3 जैविक दबाव के कारण बिरले वन – पुर्नवनीकरण / पुर्नस्थापना के लिए

समिति की गठन प्रकिया

समितियों के गठन प्रक्रिया के बारे बताया कि वन विभाग के कार्यो एवं जनता को संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में बताने एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए वन समिति का गठन किया गया है । समिति का गठन ग्रामीणो के सहयोग के लिए होता है जो सदस्य स्वेक्षा से जुड़ना चाहे समिति के सदस्य होते है इसमें कम से कम 11 एवं अधिक से अधिक 21 सदस्य हो सकते है । समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होता है लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से पुन पांच वर्षो के लिए नवीनिकरण किया जा सकता है। वन समिति के अधिकारो एवं कर्त्तव्यों पर बताया कि समय– समय पर माइक्रोप्लान वनो की सफाई खूले व बिगड़े वन क्षेत्रो पर रोपण , बिगड़े वनों का सुधार चारागाह विकास कार्य, अनियमित कटाई पर प्रतिबंध लघु वनोपजों के अधिकार एवं अपराधियों को पकडाने एवं स्थानीय जनता को सहयोग देना समिति का मुख्य अधिकार है। समिति के उपर चर्चा करते हुए सदस्यों से पूछा गया कि आपके यहां पर किस प्रकार की समितियां है ।

- करवाही वन सुरक्षा समिति
- गोगाटोला वन सुरक्षा समिति
- परसाटोला वन ग्राम समिति
- हीरापुर वन सुरक्षा समिति
- मेंढ़की वन सुरक्षा समिति
- बरवाही वन सुरक्षा समिति
- सरेखा वन सुरक्षा समिति

अनुभवों का आदान प्रदान

समिति सदस्यों द्वारा अपने अनुभवों के आदान प्रदान एवं इस विस्तृत चर्चा करने पर निकलकर आया कि

- लोगों का सहयोग नही मिलना
- नियमित बैठक न होने से आपसी विचारों का आदान –प्रदान न होना
- सदस्यों में उत्साह की कमी
- अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग नही मिलना
- सम्पूर्ण जानकारियों का समिति तक न पहुचना
- बिचौलियों द्वारा प्रोत्साहान
- लघु वनोपजों के पेड़ो को काटने पर गांव स्तर पर कठोर आर्थिक दंड।
- ग्रामीणो को लघुवनोपज को बेचने के लिए उचित व्यवस्था का नहीं होना एवं कम दाम
- समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को बैठने का निर्णय लिया

आगे बात करते हुए सदस्यों द्वारा बताया गया कि इन कारणों से वनो की अनियमित कटाई हो रही है, एक बड़ी समस्या के रूप निकलकर आया कि वन समिति अगर आगे आकर काम करती है तो पैसे वाले लोगों के लिए उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है । और उस समय उन्हें अधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता जिससे वन समिति में 2–4 बार उत्साह की कमी आई है । इसका उदाहरण देते हुए परसाटोला वन समिति भंग होने के बारे में बताया परसाटोला के ग्राम वन समिति के क्षेत्र में भेडो द्वारा चराई के समय वन समिति सदस्यों द्वारा मना किया गया तो भेड मालिको एवं समिति के बीच मार पीट हुई एवं अधिकारियों का भी विशेष सहयोग नही मिला फलस्वरूप समिति भंग हो गई। इसी कम में माइक्रोप्लान पर चर्चा करते हुए बताया गया कि किस प्रकार वन समिति के फायदो एवं बिगड़े वनो की सुरक्षा वं रोपण समिति के सुक्ष्म प्रबंधन बनाकर वन विभाग के वर्किग प्लान से जोड़ सकते है । इसमें फलदार वृक्षो को लगाने के उपर उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया।
कार्यशाला के अंत में निर्णय स्वरूप निकलकर आया कि समिति को पुनः अपने कार्यो में पहले जैसे तेजी लानी होगी इसके लिए इसके लिए गांव मे प्रचलित बिचौलियों पर पाबंदी लगानी होगी।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची :–

क्रं.	नाम	ग्राम	पंचायत	उम्र	जाति
1	चैनलाल बाहेश्वर	मेण्ढकी	मेण्ढकी	38	मरार
2	सुखलाल नागेश्वर	मेण्ढकी	मेण्ढकी	55	मरार
3	गणेश उयके	हीरापुर	परसाटोला	37	गोड
4	सुरताना परते	मेण्ढकी	मेण्ढकी	56	गोड
5	कन्हैयालाल	सरेखा	करवाही	42	गोड
6	बैशाखीन	रामाटोला	परसाटोला	36	गोड
7	बंशीलाल	बैगाटोला	करवाही	45	गोंड
8	संतलाल बिसेन	बरवाही	करवाही	47	मरार
9	दुर्गा प्रसाद मेश्राम	बरवाही	करवाही	30	गोड
10	सूरज सिंग	मरारीटोला	करवाही	35	गोड
11	अम्मीलाल	बरवाही	करवाही	38	गोड
12	जैवन्ती कावरे	सरेखा	करवाही	55	मरार
13	केहर सिंग	सरेखा	करवाही	35	गोड
14	संजय बिसेन	गोगाटोला	परसाटोला	26	पवार
15	खेमराज	गोगाटोला	परसाटोला	32	पवार
16	प्रमिला पारधी	गोगाटोला	परसाटोला	34	पवार
17	बजारीसिंह धुर्वे	मेण्ढकी	मेण्ढकी	45	गोंड
18	कृष्णालाल पंचे	मेण्ढकी	मेण्ढकी	50	मरार
19	अमृतलाल मातरे	मेण्ढकी	मेण्ढकी	33	मरार
20	कपुरा बाई	मेण्ढकी	मेण्ढकी	36	गोड
21	पुनाराम	मेण्ढकी	मेण्ढकी	35	मरार
22	माया टेम्भरे	भण्डेरी	भण्डेरी	28	पवार
23	हेमन्त पटले	भण्डेरी	भण्डेरी	30	पवार
24	नवल किशोर	भण्डेरी	भण्डेरी	34	गोड
25	कु सुशीला बिसेन	भण्डेरी	भण्डेरी	20	पवार
26	कु. कलावती	भण्डेरी	भण्डेरी	20	पवार
27	ममता बैस	भण्डेरी	भण्डेरी	23	राजपुत
28	मीनक्षि कटरे	भण्डेरी	भण्डेरी	23	पवार
29	दारासिंह	भण्डेरी	भण्डेरी	23	पवार

प्रतिवेदक
ममता बैस
कम्युनिटी डव्हलपमेंट सेंटर, बालाघाट

Annexure

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी सहयोगी समिति
क्षमता वृद्धि कार्यशाला प्रतिवेदन

कार्यशाला की शुरूआत गीत शारदा वंदना से की गई, शारदा वंदना के पश्चात उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा आपस मे अपना –अपना परिचय दिया गया। उपस्थित सभी सदस्यों को आज की कार्यशाला का मुख्य उददेश्य बताया गया। कुछ सदस्यों द्वारा निकलकर आया कि यहां आज की कार्यशाला में आने से पहले मन में प्रश्न था कि महिला समूह के लिए बैठक होगी । लेकिन कार्यशाला जिसमें रोजगार गारंटी सहयोगी समिति का गठन किया जा रहा है। जो हमारे हित में है जानने के बाद ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है । रोजगार गांरटी योजना के विषय पर आगे चर्चा करते हु बताया गया कि देश की लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसमें ग्रामीण जनता को भुखमरी, गरीबी पलायन और शोषण से बचकर अपना भविष्य बदलने एवं ऐसे स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण अधिनियम है। जो गांव में रोजगार उपलब्ध करायेगी । चूकि यह योजना पूरी तरह से ग्रामीण जनता के लिए संचालित है । इसीलिए इसके सुचारू संचालन में हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। सदस्यों से रोजगार गांरटी योजना के बारे में आपकी कितनी समझ है। यह बात कि सदस्यों ने बताया कि हमें इस योजना के बारे में केवल 100 दिन का रोजगार मिलेगा।

- 100 दिन का रोजगार
- बेरोजगारी भत्ता
- पानी, डाक्टर, बच्चो को खिलाने की व्यवस्था होगी यह हमे पता है।

इस योजना के बारे में स्पष्ट बताये कि इन सारी जानकारी के साथ डाक्टर नहीं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। रोजगार काम मांगने के लिए आवेदन देना आवश्यक है आवेदन के बाद 15 दिन के बाद हमे काम नही मिलता तब हमें बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन देना होता है । 30 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4 तथा शेष आधा दिया जायेगा ।

- 5 किमी के आगे काम मिलने पर अतिरिक्त यात्रा व्यय
- मिटटी के खुदाई के प्रावधान
- एक सप्ताह में भुगतान किया जायेगा किसी भी परिस्थिति में 15 दिन से ज्यादा देर नही हो सकती ।
- विकलांगो के लिए आरक्षण एवं एक तिहाई महिला के लिए बात की गई
- किसी मजदूर के काम के दौरान मृत्यु तथा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25000 /– राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है ।
- काम के दौरान किसी दुर्धटना में कोई मजदूर घायल हो जाता है तो उसे चिकित्सा सुविधा निः शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी ।

इन सारी योजनाओं के संचालन में हमारी क्या भागीदारी होगी यह बताया गया । इस पुरी योजना में पारदर्शिता क्यो आवश्यक है ! मस्टररोल का कार्यस्थल पर भरा जाना आदि पर विस्तृत चर्चा की गई । इसके बाद उपस्थित सभी सदस्यों को रोजगार गांरटी योजना में आपके पंचायत में किस प्रकार काम किया / कराया जा रहा है । आपको क्या क्या कमियां लगती है जिसमें सुधार किया जा सकता है सदस्यों ने आपसी चर्चा की एवं तीनो पंचायत करवाही,मेण्डकी एवं परसाटोला की निम्न बातों की सामने रखा गया ।

- प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के जगह डाक्टर जो ऐसे ही घूमते रहता है ।
- एक पंचायत में मेट तो है किन्तु 15–20 पंचो का खड़े रहना
- पंचो के अलावा पंचायत के प्रभावी व्यक्तियों का खड़े रहना और मजदूरो के साथ बुरा व्यवहार करना।
- काम की गुणवत्ता नही होना।
- मुरमीकरण (सड़कों में) अच्छे से नही हो रहा है।
- कामो की प्राथमिकता पंचायत द्वारा तय नही किया जाना।
- भुगतान का सही समय पर न होना।
- किसी भी पंचायत में किस प्रकार के काम कराये जायेगें जानकारी नही मिलता (स्वघोषणा नही होना)।

इन सारे बिन्दु के निकलकर आने के बाद इसमें कैसे काम किया जाये यह सवाल पुछा गया । करवाही के लालचन्द बिसेन द्वारा बताया गया कि जब हमने पंचायत में बेकार घुमने वालो के लिए कहां तो मारने पिटने की

नौबत आती है । हमें कुछ भी जानने का अधिकार नही है । आखेां के सामने गलत होता है। फिर भी जानकारी के अभाव में कुछ नही कर सकतें। बताया गया कि ग्रामीण या पंचायत नागरिक होने के नाते हमें ग्रम सभा में यह जानने का हक है कि क्या काम चला एवं कितना किस मद में खर्च हुआ। इसके साथ हमें एक अच्छा अधिकार ***सूचना का अधिकार*** मिला है जिसमें हमे सभी विभागों से सूचना मागने एवं प्राप्त करने का अधिकार है इन सारे जानकारी को मॉगने के लिए आर टी. आई. के आवेदन लगाने का निर्णय लिया गया। रोजगार गांरटी योजना में जिस प्रकार काम हो रहा है इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ बात करने के लिए जाने की बात सामने आई। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण वह सतत चलने वाली प्रकिया है जिसमें किसी विशेष योजना या कार्य का लोगों द्वारा सभी लेखा –जोखा की जांच की जा सकती है। जिसमें गुणवत्ता उपलब्धियों परियोजना, कार्य, लाभान्वित, कार्यस्थल आदि का अंकेक्षण किया जा सकता है। रोजगार गांरटी योजना में किस प्रकार का काम पंचायत द्वारा कराया जा सकता है । इस पर चर्चा की गई । इसके बाद सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि हमें इस कार्यशाला की एक बार और आवश्कता है। अगली बैठक दिनांक 25/06/ 2007 को तथा प्रत्येक माह की बैठक माह के चौथे सोमवार को करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची :–

क्रं.	नाम	ग्राम	पंचायत	उम्र	जाति
1	श्री कमला ठाकरे	मरारी टोला	करवाही	26	मरार
2	सुगनी मरकाम	बुध्धुटोला	करवाही	37	गोंड
3	गीता धुर्वे	सरेखा	करवाही	38	गोंड
4	सुमरकली परते	सरेखा	करवाही	35	गोंड
5	सुशीला सोनवाने	बरवाही	करवाही	23	कहार
6	द्रोपति बाई	बरवाही	करवाही	45	गोड
7	सुकवारो विश्वकर्मा	मेण्डकी	मेण्डकी	36	लोहार
8	लक्ष्मी बहेश्वर	देवरबेली	मेण्डकी	32	मरार
9	सम्मेलाल मानेश्वर	देवरबेली	मेण्डकी	35	मरार
10	सुलन बाई टेकाम	चारटोला	करवाही	40	गोड
11	लालचन्द बिसेन	मरारीटोला	करवाही	28	गोड
12	शशीकला पन्द्रे	बरवाही	करवाही	27	बैगा
13	अम्बिका मर्सकोले	बैगाटोला	करवाही	24	गोसाई
14	सीमा परते	बैगाटोला	करवाही	26	गोड
15	महेश्वरी गोस्वामी	हीरापुर	परसाटोला	32	पवार
16	चमेली मरावी	गोगाटोला	परसाटोला	26	महार
17	सुरमिला ठाकरे	गोगाटोला	परसाटोला	26	पवार
18	किरण गणवीर	हीरापुर	परसाटोला	30	गोड
19	शिवराम मरावी	परसाटोला	परसाटोला	28	गोड
20	दरशनसिंग धुर्वे	हीरापुर	परसाटोला	34	गोड
21	माया टेम्भरे	भण्डेरी	भण्डेरी	28	पवार
22	हेमन्त पटले	भण्डेरी	भण्डेरी	30	पवार
23	नवल किशोर	भण्डेरी	भण्डेरी	34	गोड
24	कु सुशीला बिसेन	भण्डेरी	भण्डेरी	20	पवार
25	कु. कलावती	भण्डेरी	भण्डेरी	20	पवार
26	ममता बैस	भण्डेरी	भण्डेरी	23	राजपुत
27	मीनक्षि कटरे	भण्डेरी	भण्डेरी	23	पवार
28	दारासिंह	भण्डेरी	भण्डेरी	23	पवार
29	अनिल बर्मन	भण्डेरी	भण्डेरी	25	पवार

प्रतिवेदक
ममता बैस
कम्युनिटी डव्हलपमेंट सेंटर, बालाघाट

संचार, संवाद प्रशिक्षण

A nnexure

आयोजन : म.प्र.वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन
दिनांक – 12/02/07 से 13/02/2007
प्रशिक्षणदाता : श्री एम.के.सिन्हा, श्री रन्धावा

संप्रेषण

लोगों की प्रतिकिया मिलना ही संप्रेषण है।
स्त्रोत–––माध्यम–––विषय–––प्राप्तकर्ता
उदाहरण के लिये जब लोगों को सरकार द्वारा कोई कार्य दिया जाता है तथा इस कार्य की सूचना वापस सरकार को जाना सप्रेषण होता है। संप्रेषण की प्रकिया

- बोलकर
- ईशारों के द्वारा
- लिखित रूप से
- स्पर्श द्वारा (बगैर बोले बगैर लिखे)

परामर्श

परामर्शदाता वह होता है जिस वयक्ति में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती तब परामर्शदाता उस समस्या को सुलझाकर उस व्यक्ति को निर्णय लेने में मदद करता है। परामर्श और प्रेरणा देने में अंतर माना गया।
परामर्श

परामर्श प्रकिया	
▪ समस्याग्रस्त व्यक्ति पहल करता है। ▪ परामर्श गुण अवगुण लाभ हानि सहित पूरी जानकारी देता है। ▪ प्रेरक निर्णय लेता है परामर्शदाता मदद करता है। ▪ व्यक्ति की गहन सहभागिता प्राप्त की जाती है। ▪ व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है।	▪ स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहल करता है। प्रेरक पूरी जानकारी नहीं देता। ▪ प्रेरक का निर्णय लेने में दबाब डाला जाता है। ▪ प्रेरक बार बार संपर्क कर निर्णय लेने में बाधित करता है। ▪ प्रेरणा देना व्यवहार परिवर्तन में कम प्रभावी होता हैं

इसके उपरांत दिशा प्रदर्शन कार्यक्रम जिसमें ऑख में पट्टी बांधकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाया गया ताकि समझ में आए की किस तरह वयक्ति एक अनजान परामर्शदाता पर यकीन कर ले।

परामर्शदाता की कुशलता

- ध्यानपूर्वक समझना
- संप्रेषण
- सारांश या व्याख्यान
- पूर्ण जानकारी सरल तरीके से समझाना
- सही विकल्पों का विश्लेषण गुण व दोष।

परामर्श की प्रकिया या चरण

- रिश्ता बनाना
- मन में विश्वास जगाना।
- सारांश तथा व्याख्यान।
- समाधान की ओर
- समस्या में सुझाव
- लाभ हानि दोनों बताना।
- व्यवहार परिवर्तन के लिये तैयार करना।

अच्छे परामर्शदाता के गुण

- गोपनीयता होनी चाहिये।
- सम्प्रेषण की कुशलता होनी चाहिये।
- विषय की पूर्ण जानकारी व्यावहारिक व पुस्तकीय
- संस्कृति ज्ञान होना चाहिये।

परामर्शदाता के व्यक्तिगत गुण

- स्वयं के गुणों और अवगुणों को जानना
- संस्कृति को जानना और उसका सम्मान करना
- दूसरों की मदद करने की इच्छा रखना
- परानुभूति की भावना परामर्शदाता में सहानुभूति बाहर से व अंदर से परानुभूति की भावना होनी चाहिये
- परामर्शदाता में तुरंत समस्याग्रस्त व्यक्ति को संक्षेप में उसकी परेशानी की समाधान बताने की क्षमता होनी चाहिये।

रोल प्ले

प्रस्तुत कर बताया गया कि कैसे एक परामर्शदाता और समस्याग्रस्त व्यक्ति की सामान्यतः क्या सोच या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं व इन्हें कैसे समझना पड़ता हैं।

परामर्शदाता और भौतिक व्यवस्थाएँ

परामर्शदाता की भौतिक व्यवस्थाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि परामर्शदाता एक व्यक्ति को मार्गदर्शन देता हैं। इसलिये भौतिक व्यवस्थाओं का भी असर पड़ता है। भौतिक व्यवस्था निम्न तरीके की होनी चाहिये।

- वह स्थान एकांत हो।
- बैठने की व्यवस्था हो।
- जगह का चुनाव उत्तम हो।

वातावरण स्वच्छ और बैठने की व्यवस्था अच्छी हो स्थान ऐसा हो कि खुलकर बातें हो सकें। परामर्शदाता का अंतिम चरण हो कि वह समस्याग्रस्त व्यक्ति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे जहॉ से उस व्यक्ति को चारों रास्तों में से अच्छाई बुराई, गुण और अवगुण दोनों दिखाई दें। और वह व्यक्ति खुद निर्णय ले सके।

हेमन्त श्रीवास
सी.डी.सी. बालाघाट

annexure

Key Successes / Achievements: The achievements of the first phase of the project

Output 1: Increased Self Confidence and awareness level of target groups Women

The Network adopted strategy for increasing self-confidence and awareness level through effective community mobilization process with different approaches among partners implementation area.

1.1 They had started since project inception legal literacy camps on dowry, marriage, divorce, and violence issues and trained over 134 SHG members.

1.2 Pre-Election Voter Awareness Campaign (PEVAC) had a positive impact on the SHG members for panchayat elections and more then 1000 members trained on these issues in project area.

1.3 GVM partners celebrated NREGA week campaign during July 3 – 9, 2006 with using services of local folk, nukkar natak and rallies in all panchayats. GVM follow-up the scheme with community members through accessibility of poorest members on NREGS. As part of this 400 numbers of members were trained in project area on how to explore scheme for ensuring livelihoods and village development in benefit of community.

1.4 On Right to information (RTI) issue GVM Network build capacities of 200 members through 10 numbers of training program. Once members use this information collectively for then SDM given information without receiving the application to members.

1.5 GVM partners build more then 500 members capacities on domestic violence against women issues. As part of input result 30 members and non members recorded instances of women members intervening to stop violence against women in project area.

1.6 One bigger advantage in the project area is total three Sarpanch and 28 ward panch are representatives from self help groups. These members providing link role for information from panchayat to SHGs and SHGs to panchayats in benefit of community.

Output 2: Established sustainable self help groups of women and their federation to act as pressure group for asserting their rights

Process of SHG formation

Process- A	Process- B	Process- C
Door to door contact for understanding the situation of community	Identified and Contacted opinion leaders of village	Meeting at panchayat level- and involve panchayat functionaries for introduction of project
Discussion on community and house hold problem issues	Hamlet based meeting- to contact most poor groups	Introduction of field staff at hamlet level through panchayat functionaries
Organised hamlet based meetings for SHG formation and briefed about concepts Experience sharing of SHGs model	Discussion on various problems related to poverty and government & CSOs project	Organised meeting on Self Help group concept and identified interested members for SHG formations
SHG formed	Identification of potential hamlet based members for SHG formation	SHG formed
Informal village based SHG record keeping training to leaders	SHG formed	Informal village based SHG record keeping training to leaders
Exposure tour organised for vision building	Informal village based SHG record keeping training to leaders	Exposure tour organised for vision building
Consolidation of rules and regulations	Exposure tour organised for vision building	Consolidation of rules and regulations
	Consolidation of rules and regulations	
Linkages with government program		
Two federations have emerged with membership of SHGs (Narmada & Palash)		

SHG Formation:-

The network partners adopted different process for self help group formation with organisation commitment to established new base in rural area for community development. All partners achieved more self help groups than targeted number. Presently project has 140 SHGs in 39 project villages, instance of against 120 targets. During SHG formation they learn lot of processes and development ideas related to livelihood issues. Animators established good rapport with government SGSY scheme for SHG promotion among BPL families. As part of this now government has invited to CSOs partners to form SHG under SGSY scheme in new areas. CSOs Team got full credit to organised baigas community self help groups with covering 19% membership in whole project SHGs. Baigas are poorest typical tribe and they never believed in saving for future needs.

No of Villages	No of SHGs	No of Members	Members Profile- CASTE				Members Profile- BPL
			Gonds	Baigas	SC	OBC	
11	**34**	**356**			**26**	**106**	**356**

Working as Pressure Group (Successful Examples)

- ***Fair Price Shop*** **:** **-** All 12 FPS open on designated day and for the time specified
  - SHG women are able to get the quantity due to them
  - Baigas women are able to buy grains in smaller quantities
- *ANM:* - SHGs ensured that ANM in all the villages visit the village on designated day up to the Anganwadi Centre (no of Anganwadis 43)
- *Tendu patta:* In 2 ***Phad*** the system of paying through ***pastori*** was stopped by the members of SHG
- *Confronting Corruption:* In 2 Gram Panchayats the women members of SHG confronted the Sarpanch and were able to get their labour payment of actual number of days that they have worked for
- *Changing the Sarpanch:* In case of one Gram Panchayat the women members prevailed on the members of Gram Panchayat to pass a no confidence motion and replaced her with one of the women Panch
- *Construction of Culvert:* Federation of SHGs able to get a culvert sanctioned for their area
- *Payment of road*: Federation of SHGs prevailed upon the Janpad Panchayat for payment of road construction

Output 3: Improvement in economic situation of target group families:

No of Groups	Total Savings	Deposit:Credit Ratio	Funds Leveraged
134	**Rs 3.94,711**	1:0.8 **(not incl Revolving fund and other credit**	1:3.8

☐ **The network partners organised several Livelihood Trainings for SHG members with the aim of improvement in livelihood options.**

Name of Trainings	Vermin composting	Bamboo Craft	Sisal Fibre	Dona Pattal
No. of Trainings to SHGs	**30**	**3**	**1**	**2**

Output 4: Created different model villages of collective action in project area

Model village:

The Network had found lack of strategy in forming model villages, only few villages emerged out with some good activities like improving Aganwari centres and Redefining social rituals in some villages. Capacity building on livelihood development issues like; vermin compost, bamboo craft, sisal fibre and dona pattal were not effectively adopted by community and disseminated to other members.

Improving Anganwadi centres- Members of women SHG work on a voluntary basis to improve the physical condition of Anganwadi centres in the village

Redefining Social Rituals- Members of women SHGs celebrate *Godh Bharai* and *Anna Prashan* for all women who are pregnant (for all their children) and for all children born in the village. lthough in Khukari village some processes were emerged on collective action i.e. against land encroachment by dominated person. This is under process including involvement of federation.

Output 5: Improved capacities of network and NGOs to effectively facilitate the processes of women empowerment

NETWORK LEVEL

- ☐ The four organisations have developed in to a network where they have undertaken joint planning, joint reviews and peer review initiatives
- ☐ The network has been recognised by the government and donor agencies- CARE, SDTT, SGGSY, RMK, MP AIDS Control Society and Forest Department
- ☐ Able to use each other's strength in implementation of the project
- ☐ Partners assist each other in identifying potential candidates for each other's organisations

ORGANISATIONAL LEVEL

- ☐ All the four partners have taken training in accounts and have developed accounting and documentation systems within their organisations
- ☐ Field Area has been defined and developed. This area has been visited by different donor agencies for assessment of the organisational work.
- ☐ All the four organisations have applied for and have received FCRA and three have received 80G-attributability to PACS is that they were able to submit reports, paper clippings and other documentation related to work undertaken in PACS to establish their credibility as a CSO
- ☐ Training related to communications received under PACS have been used in other projects also, e.g. Street Play and cartoons for AIDS; and radio spots and film for CARE project
- ☐ Women field staff has been recruited and trained that helped in deepening the contact with the target group and able to address the issue (75% of the staff are women)
- ☐ Women recruited were local and from and within the field area. As these women staff received training and were exposed to workshops and conferences at Bhopal and Delhi the community started recognising them as role models and were motivated to assign political role to them (e.g. one of the Animators was s/elected by the community unopposed as Sarpanch).

Learning of the project

- ☐ MEAL as a system has been internalized by the organizations and the principles are being used to develop a similar system in school
- ☐ Working in a network provides more opportunities for learning than working as individual at the grass root level
- ☐ Strategy for Communication is a critical aspect of programme implementation (*Kanoor Express-18 editions*)
- ☐ Processes of community mobilization have become concretized
- ☐ Exposure and perspective to new sectors- disability and NTFP
- ☐ The processes and the response of the Baigas community are different than other tribal groups. There is need for a higher degree of patience and intensive effort to work worth Baigas in the area.

Potential for extension (rational for extension)

- *The project has been sanctioned till April 2007 but it has achieved its targets well before that (formation of SHGs, building the capacity of members and initiating income generation activities). The target group and the CSOs are ready to move in to the second generation issues related to federating groups, specialising on livelihood activity and instituting processes that would empower the collectives to advocate for their rights and entitlements.*
- *The project has focussed on the poor households in the area and the constituency has been developed where the poor can advocate for their rights*
- *Within the target group the poorest- Baigas, need to have a greater focus and a flexible approach to able them to mainstream with the larger community*
- *Women groups are active, vibrant and ready to move in to the next phase of advocacy and livelihood activities.*
- *The network partners have gained experience in working on each other's strength and are in a position to go in for sectoral specialisation and enhance their earlier work.*
- *The project has a critical role to play in the cluster intensification strategy as it will be linking with the other two projects in the Maikal cluster for livelihood activity.*

0 0 0 0 0 0